

वित्त विधेयक, 2008

प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष करों से संबंधित वित्त विधेयक, 2008 के उपबंध निम्नलिखित की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर का संशोधन करने के लिए हैं:

- (i) मुख्यतः व्यष्टि कर दाताओं पर भार कम करके वैयक्तिक आय-कर स्लैबों की पुनःसंरचना करना जिससे बेहतर अनुपालन के माध्यम से उत्पादकता और राजस्व अभिदाय को बढ़ाया जा सके;
 - (ii) कर-प्रशासन कारबार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जिससे अननुपालन को अभिज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष कर प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाकर संव्यवहार लागतों को कम किया जा सके और स्वैच्छिक अनुपालन को सुकर बनाया जा सके;
 - (iii) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में विकास के लिए प्रोत्साहन देना;
 - (iv) अशांकित कर प्रोत्साहनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाना;
 - (v) आवासीय गृह की विलोम बंधक तथा स्वास्थ्य बीमा के तंत्र के माध्यम से पुरानी प्रतिभूति स्ववित्तपोषण को समर्थ बनाने के लिए समुचित प्रोत्साहनों का उपबंध करना;
 - (vi) लाभांश वितरण करके जलप्रपाती प्रभाव को कम करके साम्या पूंजी की पूर्व-पश्च लागत को कम करना;
 - (vii) साम्या के लिए पूंजी अभिलाभ कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना जिससे कारपोरेट लाभ के वितरण के प्रति कर प्रेरित पूर्वग्रह को कम किया जा सके;
 - (viii) कारपोरेट बंधपत्रों पर ब्याज संबंधी स्रोत पर कर कटौती को समाप्त करके कारपोरेट ऋण बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे निर्विघ्न संव्यवहारों को सुकर किया जा सके।
2. वित्त विधेयक, 2008 निर्धारण वर्ष 2008-09 के दौरान कर के लिए दायी आयों पर आय-कर की दरों को विहित करने के लिए है, वे दरें जिन पर वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान (जिसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज भी सम्मिलित है), लाटरी या वर्ग पहली से जीत, घुड़दौड़ से जीत की रकम, ताश के खेल आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों, वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर "अग्रिम कर" की संगणना के लिए करें, और 'वेतन' से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और आय-कर प्रभारित करने के लिए स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
 3. कतिपय अपवादों के अधीन, जिन्हें कर विधि के उपबंधों में सुसंगत उपबंधों, परिवर्तनों पर कार्यवाही करते समय उपदर्शित किया गया है, उनके प्रवर्तन में मामूली तौर पर अग्रदर्शी होने का प्रस्ताव है।
 4. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

आय-कर

आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2008-09 की बाबत कर के लिए दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2008-2009 की बाबत कर के लिए दायी सभी वर्गों के निर्धारितियों की आय के संबंध में, आय-कर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है। ये वही हैं, जो "अग्रिम कर" "वेतन" में से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2007 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार -

यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, जिनकी कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है, अध्याय 8-क के अधीन रिबेट के पश्चात इस प्रकार संगणित कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में इस प्रकार संगणित कर में आय के सभी स्तरों पर दस प्रतिशत के अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

स्थानीय प्राधिकारी और सहकारी सोसायटी की दशा में कोई अधिभार उदग्रहणीय नहीं होगा।

प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, दर प्रतिशत की दर से अधिभार केवल ऐसे मामलों में उदग्रहीत किया जाएगा, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है। देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में केवल ऐसे मामलों में अढाई प्रतिशत की दर से अधिभार उदग्रहीत किया जाएगा, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक की आय पर अधिभार सहित

संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित है, जो एक करोड़ रुपए की आय से अधिक है, इन सभी मामलों में सीमांत अनुतोष अनुज्ञात किया जाएगा।

साथ ही, ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां सीमांत अनुतोष उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) अनुषंगी फायदा कर पर अधिभार -

आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदा की बाबत अधिभार निम्नानुसार उदगृहीत किया जाएगा-

- (क) प्रत्येक व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं, कर की रकम के दस प्रतिशत की दर से।
- (ख) प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, अनुषंगी फायदों की रकम पर ध्यान न देते हुए, कर की रकम के दस प्रतिशत की दर से।
- (ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, अनुषंगी फायदों की रकम पर ध्यान न देते हुए, कर की रकम के अढ़ाई प्रतिशत की दर से।

(3) शिक्षा उपकर

सभी मामलों में, कर की रकम और अधिभार, यदि कोई हो, पर दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात अतिरिक्त अधिभार उदगृहीत किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, सभी मामलों में, कर की रकम और अधिभार, यदि कोई हो, पर एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात अतिरिक्त अधिभार भी उदगृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों में से वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों में से वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरों को विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है। वह दर, जिसपर धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के द्वारा हुई आय में से कर की कटौती की जानी है, 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी से भिन्न, भारत में निवासी किसी व्यक्ति की दशा में, वह दर 10% विनिर्दिष्ट की गई है, जिसपर केंद्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूति पर संदेय ब्याज के माध्यम से होने वाली आय में से कर की कटौती की जानी है। शेष मामलों में ये दरें वही हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2007 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया था।

(1) अधिभार -

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम :-

- (i) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय, चाहे वे निगमित हों अथवा नहीं, की दशा में, जहां आय या ऐसी संदत्त या संदत्त की जाने वाली और कटौती के अधीन आयों का योग दस लाख रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर की रकम के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।
- (ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;
- (iii) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदेय ऐसी आय या आयों का कुल योग कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में ऐसे कर की ढाई प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदेय ऐसी आय या आयों का कुल योग कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है।

किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय निकाय की दशा में कोई अधिभार उदगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर -

सभी दशाओं में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर और अधिभार के दो प्रतिशत की दर पर, उदगृहीत किया जाता रहेगा। इसके अलावा, सभी दशाओं में "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर और अधिभार के एक प्रतिशत की दर पर, उदगृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आयकर परिकलित करने के लिए दरें ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने और निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने के लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

ये दरें वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू होंगी। उदाहरणार्थ भारत में अनिवासियों को होने वाले पोत परिवहन लाभों का अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से बाहर सदा के लिए जाने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने हेतु संपत्ति का अंतरण करने की संभावना है, लघु अवधि के लिए बने निकायों का निर्धारण आदि।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैरा में दी गई हैं -

क. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम, व्यक्ति निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं; या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 की कोई अन्य पैरा लागू होता है) की दशा में आय-कर की दरें भाग 3 के पैरा क में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

आधारिक छूट को 1,10,00/- रुपए से बढ़ा कर 1,50,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर ऐसे मामलों में नई आय-कर दरें निम्नानुसार हैं-

1,50,000/- रुपए तक	शून्य
1,50,001/- रुपए से 3,00,000/- रुपए	10%
3,00,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए	20%
5,00,000 रुपए से अधिक	30%

प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ती वर्ष में किसी समय पेंसट वर्ष की आयु से कम है, के लिए छूट सीमा को 1,45,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,80,000/- करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार हैं -

1,80,000/- रुपए तक	शून्य
1,80,001/- रुपए से 3,00,000/- रुपए	10%
3,00,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए	20%
5,00,000 रुपए से अधिक	30%

प्रत्येक व्यक्ति की दशा में जो भारत में निवासी है, जो पूर्ववर्ती वर्ष में किसी भी समय पेंसट वर्ष से की आयु आ उससे अधिक आयु का है, के लिए छूट की सीमा को 1,95,000/- रुपए से बढ़ा कर 2,25,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार हैं-

2,25,000/- रुपए तक	शून्य
2,25,001/- रुपए से 3,00,000/- रुपए	10%
3,00,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए	20%
5,00,000 रुपए से अधिक	30%

प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, की दशा में आय-कर की परिकलित रकम 10 लाख रुपए से अधिक होती है, को अध्याय 8क के अधीन संगणित रिबेट की रकम से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार घटाए गए आय-कर को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के 10% की दर से संगणित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, कुल आय पर संदेय आय-कर और अधिभार की 10 लाख रुपए से अधिक कुल रकम 10 लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से उस रकम से अधिक नहीं होगी जो 10 लाख रुपए की आय की रकम से अधिक है।

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर पर संघ के प्रयोजनों के लिए संगणित 10% के अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों के प्रत्येक संगम की दशा में और व्यष्टियों के प्रत्येक निकाय की दशा में, जहां अनुषंगी फायदे 10 लाख रुपए से अधिक हैं वहां अनुषंगी फायदों पर अधिभार विद्यमान दरों पर उदगृहीत किया जाएगा।

ख. सहकारी सोसायटियां

सहकारी सोसायटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक के भाग-3 की पहली अनुसूची के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दरें निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए विनिर्दिष्ट दरों के समान बनी रहेंगी। कोई अधिभार उदगृहीत नहीं किया जाएगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में आय-कर की दरें विधेयक के भाग 3 की पहली अनुसूची के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए विनिर्दिष्ट दर के समान बनी रहेंगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक फर्म की दशा में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, के लिए परिकलित आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर के 10% की दर से संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम 1 करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर अधिभार 1 करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल आय-कर से उस रकम से अधिक न हो, जो एक करोड़ रुपए से अधिक होती है, सीमांत अनुतोष का भी उपबंध किया गया है।

अनुषंगी फायदों की रकम को ध्यान में न रखते हुए, अनुषंगी फायदों पर विद्यमान कर की दर पर अधिभार उदगृहीत किया जाएगा।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के मामले में आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दरें वैसी ही बनी रहेंगी जैसी वह निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार उदगृहीत नहीं किया जाएगा।

ङ. कम्पनियां

कंपनियों के मामले में आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जैसी वे निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित की गई हैं।

यह और उपबंध किया गया है कि प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर संघ के प्रयोजनों के लिए परिकलित अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर का अर्द्ध प्रतिशत की दर पर संघ के प्रयोजनों के लिए परिकलित अधिभार तक वृद्धि की जाएगी।

तथापि, ऐसे मामलों में, एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में आय की रकम जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

अनुषंगी फायदों पर अधिभार, अनुषंगी फायदों की रकम को ध्यान में रखते हुए, कर की विद्यमान दरों पर उदगृहीत किया जाएगा।

सभी दशाओं में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए आय-कर और अधिभार, यदि कोई हो, के दो प्रतिशत की दर पर उदगृहीत किया जाता रहेगा। इसके अलावा, सभी दशाओं में "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए आय-कर और अधिभार, यदि कोई हो, (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर नहीं है) के एक प्रतिशत की दर, उदगृहीत किया जाता रहेगा।

[खंड 2]

कर आधार को व्यापक बनाना

धारा 80-झख (9) के अधीन खनिज तेल के परिष्करण हेतु कटौती के लिए सीमांत उपबंध

धारा 80-झख की उपधारा (9) खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण से उद्भूत लाभों और अभिलाभों से एक सौ प्रतिशत कटौती का उपबंध करती है। इस धारा के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अन्य धाराओं की भांति न होकर, "खनिज तेल" पद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित नहीं है।

इस उपधारा के अधीन किसी उपक्रम के लिए कटौती, उस प्रारंभिक निर्धारण वर्ष सहित सात क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है -

- जिसमें किसी उत्पादन अंशभाजन संविदा के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन पहली बार आरंभ हुआ है, या
- जिसमें खनिज तेल का परिष्करण आरंभ हुआ है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 80-झख की उपधारा (9) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि इस उपधारा के अधीन, खनिज तेल के परिष्करण में लगे किसी उपक्रम को, यदि वह 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का परिष्करण आरंभ करता है तो कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 15]

वस्तु संव्यवहार कर

किसी मान्यताप्राप्त संगम में प्रविष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार पर एक नया कर, जो वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) के नाम से ज्ञात होगा, उदगृहीत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि, "कराधेय वस्तु संव्यवहार" को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि इससे निम्नलिखित के मान्यताप्राप्त संगम में क्रय या विक्रय का कोई संव्यवहार अभिप्रेत हो -

- मालों में विकल्प; या
- वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प; या
- कोई अन्य वस्तु व्युत्पन्न।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता द्वारा किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर नीचे सारणी में दी गई दर पर इसके नीचे उपदर्शित किए गए अनुसार कर उदगृहीत किया जाए :-

क्रम सं.	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	निम्नलिखित द्वारा संदेय
1.	मालों में किसी विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	विकल्प प्रीमियम पर 0.017 प्रतिशत	विक्रेता
2.	जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है वहां, मालों में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	विकल्प के समझौता मूल्य पर 0.125 प्रतिशत	क्रेता
3.	किसी अन्य वस्तु व्युत्पन्न का विक्रय	उस मूल्य का 0.017 प्रतिशत जिस पर वस्तु व्युत्पन्न का विक्रय किया गया है।	विक्रेता

सीटीटी के संग्रहण और वसूली, विवरणियों को प्रस्तुत करने, निर्धारण प्रक्रिया, निर्धारण अधिकारी की शक्ति, ब्याज की प्रभार्यता, शास्ति के उदग्रहण, अभियोजन के संस्थान, अपील फाइल करने, केन्द्रीय सरकार की शक्ति आदि के संबंध में उपबंधों को भी उपबंधित किया गया है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस कर को उस तारीख से उदगृहीत किया जाए, जिसको वित्त विधेयक, 2008 का अध्याय 7 केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 36 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा वर्ष के दौरान, कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों की बाबत संदत्त वस्तु संव्यवहार कर की किसी रकम को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा कि कराधेय वस्तु संव्यवहारों से ऐसी आय को "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

आय-कर अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 में ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2009-10 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे।

[खंड 7, खंड 97 से खंड 116]

कल्याण उपाय

विलोम बंधक स्कीम को प्रभावी करने के लिए संशोधन

2007-08 के लिए संघ का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के पैरा 89 में यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विलोम बंधक स्कीम आरंभ करेगा। इस घोषणा के अनुसरण में, बैंकों ने पहले ही विलोम बंधक के लिए स्कीम तैयार कर ली है।

पूर्वोक्त स्कीम के संदर्भ में, उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधी मुद्दों का समाधान करना आवश्यक था। पहला मुद्दा यह है कि क्या विलोम बंधक स्कीम के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति का बंधक, आय-कर अधिनियम के अर्थान्तर्गत एक अंतरण है अथवा नहीं और इस प्रकार पूंजी अभिलाभ उत्पन्न करता है। आय-कर अधिनियम की धारा 2 (47) "अंतरण" की एक समावेशी परिभाषा का उपबंध करती है। अतः, कतिपय मामलों में, संपत्ति का बंधक, आय-कर अधिनियम की धारा 2 (47) के अर्थान्तर्गत एक अंतरण है। परिणामतः, किसी संपत्ति के बंधक पर उद्भूत होने वाला कोई अभिलाभ, आय-कर अधिनियम की धारा 45 के अधीन पूंजी अभिलाभों को उत्पन्न करेगा। तथापि, विलोम बंधक के संदर्भ में, आशय यह है कि किसी आवासीय गृह के बंधक के प्रति एक नकद प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए और संपत्ति को अन्यसंक्रामण न किया जाए, इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम की धारा 47 में एक नया खंड (भक) अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई किसी स्कीम के अधीन किसी विलोम बंधक के संव्यवहार में पूंजी आस्ति के किसी अंतरण को अंतरण नहीं माना जाएगा और उस पर पूंजी अभिलाभ कर लागू नहीं होगा।

दूसरा मुद्दा यह है कि क्या किसी विलोम बंधक स्कीम के अधीन एकमुश्त रूप में या किश्तों में प्राप्त किया गया ऋण आय के समतुल्य है अथवा नहीं। ऐसे ऋण की प्राप्ति पूंजी प्राप्ति की प्रकृति की है। तथापि, वरिष्ठ नागरिक को कर व्यवस्था में अभिनिश्चितता उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह उपबंध करने के लिए कि ऐसी ऋण रकमें आय-कर से छूट प्राप्त होंगी, धारा 10का संशोधन किया जाए।

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, किसी विलोम बंधक स्कीम के अधीन कोई कर्जदार केवल, ऋण की वसूली के प्रयोजनों के लिए बंधकदार द्वारा बंधक संपत्ति के अन्यसंक्रामण के बिंदु पर ही आय-कर (पूंजी अभिलाभों पर कर की प्रकृति के) के लिए दायी होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, खंड 11]

धारा 80ग के अधीन पात्र बचत लिखतों की परिधि का विस्तार

आय-कर अधिनियम की धारा 80ग किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) को निम्नलिखित के लिए एक लाख रुपए तक की कटौती के लिए उपबंध करती है, -

- कतिपय बचत लिखतों में निवेश करने; या
- ट्यूशन फीस और गृह ऋण के प्रतिदाय पर व्यय उपगत करने।

अल्प बचतों को प्रोत्साहित करने के विचार से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 80ग की उपधारा (2) में दो नए खंड अंतःस्थापित करके पात्र बचत लिखतों की परिधि का विस्तार किया जाए। पूर्व वर्ष के दौरान, निर्धारिती द्वारा किए गए निम्नलिखित निवेश, एक लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर धारा 80ग के अधीन कटौती के लिए पात्र होंगे :-

- डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन किसी खाते में पांच वर्ष का सावधि जमा; और
- वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन किसी खाते में जमा।

इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि जहां निर्धारिती द्वारा जमा करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे खाते में से कोई रकम निकाली जाती है, वहां इस प्रकार निकाली गई रकम को निर्धारिती की उस पूर्व वर्ष की आय माना जाएगा, जिसमें वह रकम निकाली गई थी। तदनुसार, इस प्रकार निकाली गई रकम ऐसे पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर के लिए दायी होगी। कर के लिए दायी रकम में, निकाली गई रकम का वह भाग भी सम्मिलित होगा, जो जमा पर प्रोद्भूत ब्याज के रूप में है। तथापि, यदि इस प्रकार प्राप्त या निकाली गई रकम के किसी भाग (ब्याज से संबंधित रकम सहित) को पूर्व वर्षों में से किसी में कराधान के अधीन किया गया है, तो ऐसी रकम पर पुनः कर नहीं लगाया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन वित्तीय वर्ष 2007-08 और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान किए गए यथा पूर्वोक्त निवेशों को लागू होगा।

[खंड 13]

माता-पिता के लिए संदत्त स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए अतिरिक्त कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80घ, किसी ऐसे निर्धारिती को, जो व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पंद्रह हजार रुपए तक की कटौती के लिए उपबंध करती है। यह कटौती निम्नलिखित पर किसी बीमा को प्रभावी करने या प्रवृत्त बनाए रखने के लिए संदाय करने हेतु अनुज्ञात है, -

- जहां निर्धारिती एक व्यक्ति है, वहां निर्धारिती का स्वास्थ्य निर्धारिती की पत्नी या पति, आश्रित माता-पिता या आश्रित बालकों के स्वास्थ्य पर;
- जहां निर्धारिती एक हिन्दू अविभक्त कुटुंब है वहां कुटुंब के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर।

उस दशा में जहां निर्धारिती या कुटुंब का कोई ऐसा अन्य सदस्य जिसके स्वास्थ्य पर बीमा प्रभावी किया गया है या प्रवृत्त रखा गया है, वरिष्ठ नागरिक है, बीस हजार रुपए तक कटौती अनुज्ञात की गई है। विद्यमान उपबंधों में यह अपेक्षाएं भी हैं कि संदाय किसी गैर-नकद पद्धति के माध्यम से की जानी चाहिए और वह संदाय निर्धारिती की कराधेय आय में से किया गया होना चाहिए।

चूंकि वृद्धों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर, अपेक्षाकृत उच्चतर कीमत पर प्राप्त होता है, यह आवश्यक है कि व्यक्ति निर्धारिती को, उसके माता-पिता को चिकित्सीय रूप से बीमाकृत कराने के प्रयासों को समर्थन देकर प्रोत्साहित किया जाए। तदनुसार, किसी ऐसे निर्धारिती को, जो व्यक्ति है, उसके माता या पिता अथवा माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा प्रभावी करने या प्रवृत्त रखने के लिए किए गए किसी संदाय पर पंद्रह हजार रुपए तक की अतिरिक्त कौटुकी अनुज्ञात करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह कटौती, व्यक्ति निर्धारिती को, उसके स्वयं के लिए पति या पत्नी और आश्रित बालकों के लिए उपलब्ध विद्यमान कटौती के अतिरिक्त होगी।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि व्यक्ति निर्धारिती के ऐसे माता या पिता में से कोई, जिसे चिकित्सीय रूप से बीमाकृत किया गया है, वरिष्ठ नागरिक है, तो बीस हजार रुपए तक की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति निर्धारित पूर्व वर्ष के दौरान निम्नानुसार चिकित्सा बीमा प्रीमियमों का संदाय (गैर-नकद पद्धति के माध्यम से) करता है:-

- (i) अपने स्वास्थ्य पर और अपनी पत्नी और आश्रित बालकों के स्वास्थ्य पर बीमा पालिसी को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए 12,000/- रुपए;
- (ii) उसके माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा पालिसी को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए 17,000/- रुपए।

प्रस्तावित नए उपबंधों के अधीन, यदि उसके माता-पिता में से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो उसे 27,000 रुपए (12,000/- रुपए + 15,000/- रुपए) की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, यदि उसके माता-पिता में से कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसे 29,000/- रुपए (12,000/- रुपए + 17,000 रुपए) की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती का विनिश्चय करने के लिए यह बात विचारणीय नहीं होगी कि क्या माता-पिता उस पर आश्रित हैं अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उदाहरण में, यदि माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा की लागत 30,000/- रुपए है, जिसमें से 17,000/- रुपए का संदाय (किसी गैर-नकद पद्धति द्वारा) पुत्र द्वारा और 13,000/- रुपए का संदाय पिता द्वारा (जो वरिष्ठ नागरिक हैं) अपनी-अपनी कराधेय आय में से किया जाता है तो पुत्र को (स्वयं के और कुटुंब के चिकित्सा बीमा के लिए 12,000/- रुपए की कटौती के अतिरिक्त) 17,000/- रुपए की कटौती और पिता की 13,000/- रुपए की कटौती दी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण उपाय

"पूर्त प्रयोजन" की परिभाषा को उपयुक्त बनाना

अधिनियम की धारा 2(15) "पूर्त प्रयोजन" को इस प्रकार परिभाषित करता है जिससे कि उसमें गरीबों को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने को सम्मिलित किया जा सके।

यह देखा गया है कि वाणिज्यिक आधार पर प्रचालित होने वाली कई संस्थाएं या तो अधिनियम की धारा 10(23ग) या धारा 11 के अधीन अपनी आय पर छूट का दावा इस आधार पर करते हैं कि वे "पूर्त प्रयोजन" की वर्तमान परिभाषा के भाग चार में यथा सम्मिलित "सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने में लगे हुए हैं। ऐसा दावा, जब वाणिज्यिक आधार पर किसी क्रियाकलाप की बाबत किया जाता है, तो वह उपबंध के प्रयोजन के विरुद्ध होता है। वाक्यांश "सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने" के विस्तार को सीमित करने के लिए, धारा 2(15) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना" पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि इसमें निम्नलिखित किया जाना अंतर्वलित है-

- (क) व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या,
- (ख) व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप,

उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, संबंधित आस्तित्व द्वारा ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की प्रकृति पर ध्यान न देते हुए, किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

सभी उपक्रमों के प्रारम्भिक व्ययों के अपाकरण से संबंधित धारा 35घ के उपबंधों का विस्तार

धारा 35घ कतिपय विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक व्ययों की कटौती का उपबंध करती है। कटौती ऐसे व्यय के 1/5 भाग की रकम के बराबर पूर्ववर्ती पांच क्रमवर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात हैं। प्रारम्भिक व्यय या तो कारबार आरम्भ होने से पहले की अवधि या उसके पश्चात् की अवधि से संबंधित है। तथापि, यदि प्रारम्भिक व्यय कारबार आरम्भ होने के पश्चात् की अवधि से संबंधित है, तो ऐसे व्यय तभी अनुज्ञात हैं जब वह औद्योगिकी उपक्रम के विस्तार से संबंधित है या किसी नई औद्योगिकी इकाई के गठन से संबंधित है।

सेवा सेक्टर के लिए सन्तुलित गुंजाइश कार्य क्षेत्र का उपबंध करने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि सेवा सेक्टर को विनिर्दिष्ट पश्च आरंभिक प्रारंभिक खर्च के परिशोधन का वही फायदा विस्तारित किया जाए जो किसी उपक्रम के विस्तार या कोई नई यूनिट को स्थापित करने के लिए विनिर्माण सेक्टर को उपलब्ध है। अतः, तदनुसार धारा 35घ का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

लाभांश वितरण कर संबंधी उपबंधों का संशोधन

धारा 115ण देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है। इस धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि पन्द्रह प्रतिशत की दर पर वितरित लाभों पर कर किसी ऐसी घोषित रकम पर उद्गृहीत किया जाएगा जो किसी देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में इसके शेयरधारकों को वितरित या संदत्त किया गया है।

देशी कंपनियों को उनके कारबार को दक्ष रूप से संरचित करने में सहायता करने की दृष्टि से, यह विनिश्चय किया गया है कि एक स्तर तक लाभांश वितरण कर जलप्रपाती प्रभाव को न्यूनीकृत किया जाए। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांश की रकम में देशी कंपनी द्वारा इसकी समनुषंगी से प्राप्त लाभांश रकम की कमी की जाएगी, यदि

(क) समनुषंगी ने ऐसे लाभांश पर धारा 115ण के अधीन कर का संदाय कर दिया है, और

(ख) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है।

यह भी उपबंध किया जाता है कि लाभांश की वही रकम एक बार से अधिक ऐसी कमी के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी के साधारण अंश पूंजी का आधे से अधिक अभिहित मूल्य धारण करती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 21]

स्रोत पर कर कटौती और संग्रहण के उपबंध का सुव्यवस्थीकरण व्यक्तियों के संगम और व्यष्टियों के निकाय को शामिल करने के लिए धारा 194ग के अधीन स्रोत पर कर कटौती की परिधि का विस्तारण

वित्त विधेयक 1972 द्वारा अन्तःस्थापित आय-कर अधिनियम 194ग की उपधारा (1) किसी निवासी ठेकेदार के कोई कार्य करने के लिए (कोई कार्य करने के लिए जिसमें श्रमिकों की आपूर्ति भी है) किसी ठेकेदार और सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, कानूनी निगमों, कंपनियों, सहकारी सोसायटियों, कानूनी प्राधिकारियों जो गृह आवासन उपलब्ध कराने में लगे हैं, रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, फर्मों और उन व्यष्टियों/हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के जिनसे धारा 44कख के अधीन उनके खातों की लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित है, बीच संविदा के अनुसरण में प्रत्ययित किसी राशि पर स्रोत पर आय-कर की कटौती का उपबंध करती है।

बड़ी कार्य संविदाओं के निष्पादन के लिए, अनेक विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) गठित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ एसपीवी का गठन व्यक्तियों के संगम (एओपी) या व्यष्टियों के निकाय (वीओआई) के रूप में संयुक्त उद्यमों (जेवी)/संगम के रूप में किया जा रहा है। चूंकि धारा 194ग के उपबंध इस समय विनिर्दिष्टतया किसी एओपी या बीओआई से स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए पूरे राजस्व के प्राप्त न होने की संभावना है। अतः इसलिए संशोधन यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय चाहे निगमित हो या नहीं धारा 194ग की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने का दायी होगा।

संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 40]

धारा 195 के अधीन कर कटौती के बारे में सूचना देने के लिए उपबंध

धारा 195 की उपधारा (1) किसी अनिवासी को या किसी विदेशी कंपनी को कर से प्रभार्य किसी ब्याज या किसी अन्य राशि का "वेतन" शीर्ष के अधीन लाभांशों तथा आय के सिवाय) संदाय करने के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति से प्रवृत्त दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा करती है। स्वामिस्व के रूप में किसी अनिवासी के किए गए संदाय तथा तकनीकी सेवाओं के लिए किए गए संदाय उन राशियों का उदाहरण हैं जो ऐसे कर से प्रभार्य हैं जिन पर इस धारा के अधीन कर की स्रोत पर कटौती की जानी अपेक्षित है।

वर्तमान में, प्रेषण करने वाले किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किसी लेखाकार से प्रमाणपत्र संलग्न करके निर्धारण अधिकारी को संबोधित वचनबंध (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यह वचनबंध और प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक या इसके प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत किया जाता है जिससे बाद में निर्धारण अधिकारी को एक प्रति भेजने की अपेक्षा की जाती है।

इस वचनबंध और प्रमाणपत्र का प्रयोजन उस प्रक्रम पर कर संगृहीत करना है जब इस प्रकार प्रेषण किया जाता है कि अनिवासियों से बाद वाले प्रक्रम पर कर वसूल करना संभव न हो सके। विदेशी प्रेषणों में सारवान् वृद्धि रही है जिससे प्रमाणपत्रों को संभालना तथा उनका पता लगाना कठिन हो गया है। सामयिक रीति में संव्यवहारों को मानिटर करने के लिए तथा उनका पता लगाने के लिए प्रमाणपत्र और वचनबंध में सूचना की ई-फाइलिंग आरंभ करने का प्रस्ताव है। अतः, यह संशोधन यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि आय-कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति बोर्ड द्वारा विहित किए जाने वाले किसी प्ररूप तथा रीति में अनिवासी या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि के संदाय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 41, 54]

टीडीएस और टीसीएस प्रमाणपत्रों के डिमेटरियलाइजेशन संबंधी उपबंधों का संशोधन

1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् स्रोत पर कर की किसी कटौती या संग्रहण के लिए वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 के माध्यम से 01-04-2005 से स्रोत पर कटौती किए गए कर (टीडीएस)/स्रोत पर संगृहीत कर (टीसीएस) प्रमाणपत्रों के डिमेटरियलाइजेशन के लिए एक स्कीम प्रारंभ की गई थी। वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा इस स्कीम के प्रारंभ को 1-4-2006 तथा तत्पश्चात् वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1-4-2008 तक आस्थगित कर दिया गया था। चूंकि आय-कर विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना अभी तक क्रियाशील नहीं हुई है, इसलिए इस स्कीम के प्रारंभ को 01-04-2010 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

चालू प्रौद्योगिकीय और कारबार प्रक्रिया परिवर्तनों पर विचार करते हुए, निर्धारिती को टीडीएस/टीसीएस के लिए प्रत्यय अनुज्ञात करने की प्रणाली में कतिपय

मात्रा की लोचनीयता की आवश्यकता है। स्वयं अधिनियम में टीडीएस/टीसीएस के लिए प्रत्यय देने की विधि के संबंध में कठोर शर्तों का उपबंध करने से, प्रणाली को पुनर्संरचना करने तथा परिवर्तित होने वाले प्रौद्योगिकीय वातावरण के अनुसार क्रियान्वित करने के संबंध में कठिन बनाता है। उपर्युक्त की दृष्टिगत रखते हुए, धारा 199 और धारा 206 ग (4) को अंतः स्थापित करना प्रस्तावित है ताकि वह रीति जिसमें टीडीएस/टीसीएस का प्रत्यय दिया जाना है, धारा 199 और धारा 206 ग (4) के अधीन विरचित नियमों द्वारा शासित होगी अर्थात् बोर्ड ऐसे नियम बना सकेगा जो धारा 192 (1क) की पूर्वापेक्षा पर टीडीएस/टीसीएस या नियोजक द्वारा संदत्त कर की बाबत प्रत्यय देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

[खंड 27, 42, 44, 45]

कार्पोरेट बंध-पत्रों पर स्रोत पर कर कटौती का हटाया जाना

आय-कर अधिनियम की धारा 193 किसी निवासी को प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज के रूप में किसी आय पर स्रोत पर कर की कटौती का उपबंध करती है।

अवसंरचना विकास के लिए वित्त की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कार्पोरेट बंधपत्र बाजार के विकास को सुकर बनाने के लिए, किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर किसी निवासी को संदेय ब्याज पर, जहां ऐसी कंपनी डिमैटिरियालाइज्ड प्ररूप में है और भारत में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अनुसार और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टाफ एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, स्रोत पर कर कटौती के हटाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 39]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए उपाय

किसी कंपनी को संदत्त राशि जिसका उपयोग ऐसी कंपनी द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाना है, पर भारित कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35(i) (ii) किसी दाता के लिए किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, अनुमोदित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी संस्थान को संदत्त रकम, जिसका प्रयोग कतिपय अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा, के 125% तक की भारित कटौती के लिए उपबंध करती है।

वैज्ञानिक अनुसंधान की आउटसोर्सिंग को, विशेषकर ऐसी छोटी कंपनियों द्वारा जो घरेलू वैज्ञानिक प्रसुविधाओं के निर्माण के लिए भारी निवेश करने में अक्षम हैं, बढ़ावा देने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 35 (i) में एक नया खंड (ii)क) अन्तःस्थापित करने व्यय प्रस्ताव है, जिससे किसी दाता को, किसी कंपनी को संदत्त राशि, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाना है, के 125% तक भारित कटौती अनुज्ञात की जा सके परंतु ऐसी कंपनी -

- (i) भारत में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ii) उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करना है;
- (iii) तत्समय विहित रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है; और
- (iv) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं।

तथापि, कटौती के लिए बहुल दावों से बचने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 35 (i) (ii)क) के अधीन अनुमोदित कोई कंपनी धारा 35 (2क) के अधीन 150% की भारित कटौती के लिए दावा नहीं कर सकती है। तथापि वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय के रूप में खर्च राशि के 100% तक कटौती, जो धारा 35 (1) (i) के अधीन उपलब्ध है, का अनुज्ञात होना जारी रहेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

सामाजिक-आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए उपाय

“कृषि आय” की परिधि को व्यापक बनाना

अधिनियम की धारा 2 (1क) में परिभाषित “कृषि-आय” से आशय, अन्य बातों के साथ, भारत में अवस्थित और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से व्युत्पन्न आय से है। ऐसी कृषि आय, आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(1) के अधीन कर से छूट प्राप्त है।

न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पौधशाला प्रचालनों से हुई आय कृषि आय है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यदि पौधशाला का रखरखाव आधारभूत प्रचालनों द्वारा किया जाता है तथा पश्चात्वर्ती प्रचालन आधारभूत प्रचालनों के क्रम में किए जाते हैं, तो ऐसी पौधशाला से आय धारा 10 के अधीन कर से दायी न होने वाली कृषि आय होगी। तथापि, यदि पौधशाला का रखरखाव स्वतंत्र रूप से भूमि के आधारभूत प्रचालनों को किए बिना किया जाता है, तो ऐसी पौधशाला से होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी तथा कुल आय में सम्मिलित किए जाने के लिए दायी होगी।

इस विवाद्यक को अंतिम रूप देने के दृष्टिकोण से, धारा 2 (1क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पौधशाला में उगाई गई कलम या पौध से व्युत्पन्न आय कृषि आय समझी जाएगी। तदनुसार, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या भूमि पर आधारभूत प्रचालन किए गए हैं, ऐसी आय को कृषि आय माना जाएगा, अतः अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन छूट के लिए अर्ह होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

“सिक्किम” के व्यष्टि को छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 10 उन आयों से संबंधित है, जो कुल आय का भाग रूप नहीं हैं।

धारा 10 में एक नया खंड (26ककक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि निम्नलिखित आय, जो किसी सिक्किमी व्यक्ति को उद्भूत होती है, आय-कर से छूट प्राप्त होगी -

- (क) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से आय; या
- (ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम से आय ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यह छूट किसी ऐसी सिक्किमी स्त्री को उपलब्ध नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् किसी गैर सिक्किमी व्यष्टि से विवाह करती है।

इस खंड का स्पष्टीकरण, “सिक्किमी” पद को परिभाषित करता है, जो सिक्किम नागरिक नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम नागरिक विनियम, 1961 और इस संबंध में पश्चात्तवर्ती सरकारी आदेशों में दी गई परिभाषा पर आधारित है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1990-1991 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

कयर बोर्ड की आय को छूट

धारा 10 (29क) यह उपबंध करती है कि कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तु बोर्डों और निर्यात विकास प्राधिकरणों की आय को आय-कर से छूट प्राप्त होगी।

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड को प्रोद्भूत या उद्भूत आय के संबंध में ऐसी ही छूट अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) पर आय-कर छूट का विस्तार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) का सृजन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) अधिनियम, 2002 के अधीन किया गया था। एसयूयूटीआई, यूटीआई का उत्तरवर्ती है। एसयूयूटीआई के लिए तत्कालीन यूटीआई की ओर से सरकारी दायित्वों को समाप्त करना आज्ञापक है।

निरसन अधिनियम 13(1) के द्वारा एसयूयूटीआई को आय-कर या प्राप्त आय, लाभ या अभिलाभ या विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में पांच वर्ष की अवधि, जो नियत दिन अर्थात्, 1 फरवरी, 2003 से संगणित की जाएगी, के लिए प्राप्त किसी रकम पर किसी अन्य कर से छूट प्राप्त होगी। यह छूट 31 जनवरी, 2008 को समाप्त हो गई है।

चूंकि एसयूयूटीआई की दो स्कीमें, अर्थात् यूएस 64 बंधपत्र और 6.6% एआरएस बंधपत्र अभी बंद होनी है, धारा 13(1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि छूट का 31 मार्च, 2009 तक विस्तार किया जा सके।

यह संशोधन 1 फरवरी, 2008 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 118]

कतिपय क्षेत्रों में अवस्थित अस्पतालों को पांच वर्ष के लिए कर से छूट

धारा 80-झख की उपधारा (11ख), प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष से आरम्भ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए किसी ऐसे उपक्रम को, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल के प्रचालन और अनुसंधान के कारबार से लाभ प्राप्त कर रहा है, कर छूट का उपबंध करती है। उपक्रम से उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। एक शर्त यह है कि अस्पताल का 1 अक्टूबर, 2004 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान संनिर्माण किया गया हो।

गैर मेट्रो शहरों में अस्पतालों में विनिधान को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य से इस उपधारा के फायदों को अपवर्जित क्षेत्रों से भिन्न, भारत में कहीं भी अवस्थित अस्पतालों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इसलिए, उक्त धारा 80झख में एक नई उपधारा (11ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई धारा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न उपबंध करने के लिए है, -

(i) कर फायदा किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुसंधान के कारबार से प्राप्त लाभों के संबंध में पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए होगा जो प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होगा ।

(ii) कर फायदे उस अस्पताल को उपलब्ध होंगे जो 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय संनिर्मित किया जाता है और उसने अपना कृत्य करना प्रारंभ कर दिया है या आरंभ करता है।

(iii) अपवर्जित क्षेत्र से आशय बृहत्तर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद नगर क्षेत्रों और फरीदाबाद, गुडगांव, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और गांधीनगर तथा सिंकदराबाद नगर से होगा।

(iv) किसी शहरी बस्ती वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जो 2001 की जनगणना के आधार पर उस शहरी बस्ती में सम्मिलित किया गया है।

धारा 80झख की उपधारा (11ख) की अन्य विद्यमान शर्तें भी प्रस्तावित नई उपधारा में सम्मिलित की गई हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिलों में अवस्थित होटलों के लिए पांच वर्षीय कर फायदा

आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ दो, तीन और चार सितारा होटलों और कन्वेंशन केंद्रों के लिए पांच वर्षीय कर फायदे का उपबंध करती है। यह अपेक्षित है कि ऐसा होटल 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय निर्मित हो तथा उसने कृत्य प्रारंभ कर दिया हो या कर देता है। इसके अलावा, ऐसे कन्वेंशन केंद्र को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी समय निर्मित होना चाहिए। कर से छूट उन फायदों को उपलब्ध होगी जो आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाली पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के दौरान होटल या कन्वेंशन केंद्र के कारबार से प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त फायदे प्राप्त करने के लिए, होटल या कन्वेंशन केंद्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होना चाहिए। विनिर्दिष्ट क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और फरीदाबाद, गुडगांव, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में कतिपय विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थलों में पर्यटन के संवर्धन तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, इस धारा में उपलब्ध कर फायदों के दायरे की विश्व विरासत स्थलों वाले विनिर्दिष्ट जिलों में अवस्थित नए दो सितारा, तीन सितारा या चार सितारा होटलों तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। ऐसे होटलों से 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय संनिर्मित होना तथा कृत्य प्रारंभ करना अपेक्षित है। विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले आगरा, जलगांव, औरंगाबाद, कांचीपुरम, पुरी, भरतपुर, छतरपुर, तंजावुर बेल्लारी, दक्षिणी 24 परगना (उस क्षेत्र को छोड़कर जो 2001 की जनगणना के आधार पर कोलकाता शहरी क्षेत्र के अधीन है), चमोली, रायसेन, गया, भोपाल, पंचमहल, कामरूप, गोलपाड़ा, नागांव उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, दार्जिलिंग और नीलगिरि के रूप में प्रस्तावित है।

इस धारा में पहले से ही विनिर्दिष्ट शर्तें, नए होटलों को भी लागू होंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए उपाय

अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के लिए कर दरों में बढ़ोतरी

धारा 111क और धारा 115कघ अल्पकालिक पूंजी आस्ति से उद्भूत होने वाले किसी अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर, जो किसी कंपनी में साम्या शेरर या साम्या उन्मुख निधि की इकाई है जहां ऐसा संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभावी है, वहां दस प्रतिशत की विशेष कर दर का उपबंध करती है।

ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर कर की दर प्रंद्रह प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 18, 19]

राजस्व हानियां को रोकने के उपाय

आय-कर अधिनियम की धारा 40क(3) के उपबंधों का संशोधन

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (3) (क) यह के उपबंध करती है कि उपगत कोई व्यय, जिसका संदाय 20,000 रुपए से अधिक राशि का संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय बैंक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न रूप में किया जाता है, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। धारा 40क (3)(ख) कारबार या वृत्ति के लाभों तथा अभिलाभों के रूप में किसी संदाय को समझने के लिए भी उपबंध करता है यदि व्यय किसी विशिष्ट वर्ष में उपगत किया जाता है परन्तु किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में 20,000 रुपए से अधिक राशि का संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रूप में किया जाता है। तथापि, इस खंड के उपबंध आय-कर अधिनियम, 1962 के नियम 6घघ में यथा उपबंधित अपवादों के अधीन हैं।

धारा 40क (3) कर-अपवंचन विरोधी उपाय है। पाने वाले के खाते में देय लिखत द्वारा किए जाने वाले संदायों की अपेक्षा करते हुए उसके द्वारा अपवंचन के जोखिम को कम करके संव्यवहार की वास्तविकता का सत्यापन करना संभव है। यह जानकारी में आया है कि धारा 40क(3) के उपबंधों की किसी व्यक्ति के लिए किसी विशिष्ट उच्च मूल्य संदाय को अनेक नकद संदायों में प्रत्येक 20,000 रुपए से कम विभाजित करके परिवंचना की जा रही है। इस विभाजन का एकल दिन के दौरान किए गए संदायों के लिए भी सहारा लिया जाता है। न्यायालयों ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 40क(3) में कानूनी सीमा एक समय में किसी पक्षकार को किए गए संदाय को लागू होता है न कि रोकड़ बही में यथा अभिलिखित दिन के दौरान किसी पक्षकार को किए गए कुल संदायों को। न्यायिक राय के अनुसार प्रयुक्त शब्द "किसी राशि में" अर्थात् सकल राशि हैं। अतः, संव्यवहारों की किसी संख्या को ध्यान में न रखते हुए, जहां रकम प्रत्येक संव्यवहार में विहित रकम से अधिक नहीं होती है वहां धारा 40क (3) को प्रबलताएं लागू नहीं होंगी।

ऊपर यथा निर्दिष्ट किसी दिन के दौरान उसी व्यक्ति द्वारा किए गए संदायों के विभाजन पर अंकुश लगाने के लिए, और इस उपबंध की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए संशोधन वर्तमान उपबंध को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध हो सके कि जहां बैंक पर लिखे पाने के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न रूप में किसी व्यक्ति को किए गए संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक नहीं हैं, वहां ऐसे व्यय की नामजूसी के अधीन की जाएगी या, संदाय यथा स्थिति, के अधीन कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

किसी उदाहरण की व्याख्या करने के लिए, मान लीजिए किसी करदाता ने 40,000 रुपए का व्यय उद्गत किया है। करदाता किसी एकल दिन में संबद्ध व्यक्ति को सभी का नकद रूप में 15,000 रुपए, 16,000 रुपए, और 9,000 रुपए का अलग-अलग संदाय करता है। इस मामले में, किसी दिन में किसी व्यक्ति को किए गए संदाय की कुल रकम 4,000 रुपए है। चूंकि, कुल रकम नकद रूप में 20,000 रुपए से अधिक है, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार करदाता की कुल आय की संगणना करने में किसी कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

प्रस्तावित उपधारा (3क) का परंतुक यह उपबंध करता है कि कतिपय विहित मामलों और परिस्थितियों में प्रस्तावित उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 9]

प्रशासनिक और अनुपालन प्रक्रिया का सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण

निर्धारितियों के कतिपय प्रवर्गों के संबंध में नियत तारीख को 31 अक्टूबर से पहले करके 30 सितम्बर करना

धारा 139 कतिपय प्रवर्गों के निर्धारितियों के लिए विवरणियों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का उपबंध करती है। विभिन्न प्रवर्गों के निर्धारितियों के लिए आय-कर की ऐसी विवरणी फाइल करने की तारीखों का इस धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में उपबंध किया गया है।

खंड (क) के अधीन, निर्धारितियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए निर्धारण वर्ष में 31 अक्टूबर को नियत तारीख के रूप में विहित किया गया है:

- कोई कंपनी;
- कोई व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखाओं की इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लेखा परीक्षा करना अपेक्षित है; या
- किसी फर्म का कार्यरत भागीदार, जिसके लेखाओं की इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लेखा परीक्षा करना अपेक्षित है।

इस स्पष्टीकरण के उक्त खंड (क) का संशोधन करना प्रस्तावित है जिसमें उपरोक्त प्रवर्गों के निर्धारितियों के लिए आय-कर की विवरणी फाइल करने की तारीख निर्धारण वर्ष का 30 सितम्बर, की जा सके।

इसी प्रकार अनुषंगी फायदों की विवरणी फाइल करने की तारीख को भी, जिसका उपबंध धारा 115बध की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में किया गया है, निर्धारितियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए निर्धारण वर्ष के 31 अक्टूबर से पहले करके 30 सितम्बर करने का प्रस्ताव है -

- कोई कम्पनी; या
- कोई व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) जिसके खातों की इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लेखा परीक्षा करना अपेक्षित है। कर दाताओं के अन्य प्रवर्गों के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख में कोई परिवर्तन नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

[खंड 24,27]

गणित संबंधी त्रुटियों को ठीक करना और विवरणियों की केन्द्रीकृत कार्यवाही के माध्यम से

धारा 143(1) के अधीन अशुद्ध दावों का समायोजन

साधारणतः विभिन्न देशों में कर प्रशासक, जोखिम प्रबंधन रणनीति के एक भाग के रूप में निर्धारण की दो स्तरीय प्रक्रिया अपनाते हैं। पहले स्तर पर सभी कर विवरणियों पर गणित संबंधी त्रुटियाँ, आंतरिक असंगतता, कर संगणना और कर संदाय के सत्यापन का सुधार करने के लिए कार्यवाही की जाती है। इस स्तर पर आय का सत्यापन नहीं किया जाता है। दूसरे स्तर पर कर अपवंचन की संभावना का पता लगाने के लिए कर विवरणियों की कतिपय प्रतिशतता की संवीक्षा/लेखा परीक्षा करने के लिए चयन किया जाता है। इस स्तर पर कर प्रशासन आय के सत्यापन के प्रति चिंतित होता है।

भारत में संक्षिप्त निर्धारण की स्कीम 1 जून, 1999 से प्रवृत्त है इसमें प्रथम दृष्टया समायोजन अनुज्ञात करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। विद्यमान स्कीम की परिधि केवल इस बात तक सीमित है कि क्या विवरणी की आय पर कर ठीक प्रकार से संदत्त है या नहीं है। धारा 143(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन अंकगणित संबंधी गलतियों या आन्तरिक असंगतताओं को सुधारने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसका परिणाम परिहार्य राजस्व की हानि है।

ऐसी राजस्व हानि को कम करने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी निर्धारितियों की कुल रकम, विवरणी में कुल रकम के लिए निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् धारा 143(1) के अधीन संगणित की जाएगी:-

(क) विवरणी में कोई गणित संबंधी त्रुटि; या

(ख) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में दी गई किसी सूचना से प्रकट है।

इसके अतिरिक्त, "विवरणी में दी गई किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" पद के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। इस पद से, विवरणी में निम्नलिखित की किसी प्रविष्टि के आधार पर दावा अभिप्रेत होगा, -

(क) किसी ऐसी मद का जो ऐसी विवरणी में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है;

(ख) जिसकी बाबत, ऐसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत नहीं की गई है; या

(ग) वहां किसी कटौती की बाबत, जहां ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जिसे धनीय रकम या प्रतिशतता या अनुपात या भिन्न के रूप में अभिव्यक्त किया जाए।

इसके अतिरिक्त, ये समायोजन किसी मानवीय अन्तरापृष्ठ के बिना कंप्यूटरीकृत कार्यवाही के दौरान ही किए जाएंगे। अन्य शब्दों में, गणित संबंधी अशुद्धियों और आन्तरिक असंगतताओं का पता लगाने के लिए साफ्टवेयर अभिकल्पित किया जाएगा और जो कुल आय की संगणना में समुचित समायोजन करेगा। इस प्रयोजन के लिए, विभाग विवरणियों पर केन्द्रीयकृत कार्यवाहियों के लिए पद्धति स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसे सुकर बनाने के लिए, यह भी प्रस्ताव है कि-

(क) बोर्ड निर्धारितियों द्वारा संदेय कर या उसे शोध्य प्रतिदाय को शीघ्रता से अवधारित करने की दृष्टि से एक स्कीम तैयार कर सकेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देते हुए राजपत्र में अधिसूचना निकाल सकेगी कि विवरणियों पर कार्यवाहियों से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे निबंधनों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तथापि, ऐसा निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक अधिसूचना, जैसे ही ऐसी अधिसूचना जारी कर दी जाती है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। इस अधिसूचना के साथ, ऊपर निर्दिष्ट स्कीम भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी अपेक्षित है।

वैसे ही संशोधन का अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर की धारा 115बड में प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

[खंड 25,28]

धारा 153क के अधीन कार्यवाही के बातलीकरण की दशा में निर्धारण के लिए उपबंध

आय-कर अधिनियम के अधीन, जब कभी धारा 132 के अधीन तलाशी की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यक्षता की जाती है वहां धारा 153क के उपबंध प्रवृत्त हो जाते हैं। यह धारा अन्य बातों के साथ, उस पूर्व वर्ष से, जिसमें तलाशी की गई हो या लेखा बहियों आदि की अध्यक्षता की गई हो, सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती ठीक छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण का उपबंध करती है। ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा धारा 153ख में दी गई है।

इस समय कार्यवाहियों और समय सीमाओं के पुनः प्रवर्तन से संबंधित अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो संदिग्ध बने हुए हैं। स्पष्टता लाने और इसके विवादों को कम करने की दृष्टि से आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे-

(i) यदि धारा 153क के अधीन आरंभ की गई कोई कार्यवाही या इस धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्धारण या पुनःनिर्धारण के किसी आदेश को किसी अपील या विधिक कार्यवाही में बातिल किया गया है तो किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में उपशमनित निर्धारण या पुनःनिर्धारण पुनः प्रवर्तित हो जाएगा और यदि बातलीकरण के ऐसे आदेश को अपास्त कर दिया जाता है तो ऐसा पुनः प्रवर्तन प्रभावी नहीं रहेगा।

(ii) ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण को पूरा करने की समय सीमा उस मास, एक वर्ष की होगी, जिसमें उपशमनित निर्धारण पुनः प्रवर्तित होता है, के अंत से एक वर्ष या धारा 153 या धारा 153ख की उपधारा (1) में पहले से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, होगी।

(iii) धारा 153क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाही या आदेश के बातलीकरण की तारीख से आयुक्त द्वारा ऐसे बातलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख तक की अवधि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, मानो, किसी निर्धारित की दशा में धारा 132 के अधीन तलाशी कार्यवाही 10 अप्रैल, 2007 को आरंभ की जाती है, इस तलाशी से संबंधित अंतिम प्राधिकार भी वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान प्रारंभ किया जाता है, तलाशी की तारीख को वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारण लंबित था, दी गई परिस्थिति में,-

* धारा 153क की पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के उपबंध के अनुसार निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारण का उपशमन हो जाएगा;

* प्रत्येक छह निर्धारण वर्षों, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2002-03 से निर्धारण वर्ष 2007-08 तक की बाबत निर्धारण या पुनर्निर्धारण धारा 153क की पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन किए जाने की अपेक्षा होगी; और

* इन निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय सीमा धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 31 दिसंबर, 2009 होगी।

अब हम यह कल्पना करें कि धारा 153क के अधीन कार्यवाही को 3 अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा किसी अपील या विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया जाता है। ऐसी दशा में,-

* छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष (निर्धारण वर्ष 2002-03 से निर्धारण वर्ष 2007-08) की बाबत निर्धारण, यदि धारा 153क की पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन पहले से ही पूरा हो गया है तो इस आदेश के कारण स्वतः बातिल हो जाएगा;

* किन्हीं निर्धारण वर्षों (निर्धारण वर्ष 2002-03 से निर्धारण वर्ष 2007-08) में से किसी निर्धारण वर्ष की बाबत निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश धारा 153क के अधीन कार्यवाहियों के बातिल हो जाने के कारण, धारा 153क की पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन किया जा सकता है;

* निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए कार्यवाही, जो धारा 153क की पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपशमनित हो गई है, नई उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रवृत्त होगी; और

* इस निर्धारण की बाबत आदेश 31 दिसंबर, 2007 (धारा 153 के अधीन सामान्य समय सीमा) या 31 अगस्त, 2008 (धारा 153 की उपधारा (4) के अधीन नई समय सीमा), इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है।

अब हम यह कल्पना करें कि बातलीकरण का यह आदेश अपास्त कर दिया गया है और ऐसा आदेश आयुक्त द्वारा 3 फरवरी, 2008 को प्राप्त किया गया है। ऐसी दशा में,-

* छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष (निर्धारण वर्ष 2002-03 से निर्धारण वर्ष 2007-08) की बाबत निर्धारण, यदि धारा 153क की पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन पहले से ही पूरा हो चुका है तो धारा 153क के अधीन कार्यवाही के पुनः प्रवर्तित होने के कारण स्वतः पुनः प्रवर्तित हो जाएगा;

* छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष (निर्धारण वर्ष 2002-03 से निर्धारण वर्ष 2007-08) की बाबत निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश, यदि पहले नहीं किया गया है, अब धारा 153क के अधीन कार्यवाही के पुनः प्रवर्तित होने के कारण किया जा सकता है;

* निर्धारण या पुनर्निर्धारण का ऐसा आदेश करने की समय सीमा, जो धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 31 दिसंबर, 2009 थी, धारा 153ख की उपधारा (1) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के नए खंड (vii) के अधीन 3 अगस्त, 2007 को आरंभ होने वाली और 3 फरवरी, 2008 को समाप्त होने वाली (छह मास) की अवधि तक विस्तारित किया जाएगा; और

* निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए कार्यवाही जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रवर्तित की गई थी, उसके परंतुक के उपबंध के कारण पुनः उपशमनित हो जाएगी। यदि इस निर्धारण कार्यवाही की बाबत निर्धारण आदेश पहले ही किया जा चुका है तो वह निर्धारण आदेश स्वतः बातिल हो जाएगा।

ये संशोधन, 1 जून, 2003 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

[खंड 32, 33, 34, 35, 36]

धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा के पूरा किए जाने के लिए समय विस्तारित करने हेतु निर्धारण अधिकारी को शक्ति प्रदान करना।

धारा 142 की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ) विशेष संपरीक्षा का आदेश करने की निर्धारण अधिकारी की शक्ति से संबंधित है। ऐसी शक्ति का प्रयोग निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती के लेखाओं की प्रकृति और जटिलता और राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए किए जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त धारा की उपधारा (2ग) उस अवधि को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट दी जानी है। उक्त उपधारा का परंतुक निर्धारण अधिकारी को संपरीक्षा रिपोर्ट देने की इस अवधि को विस्तारित करने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी उपबंध किया गया है कि मूल रूप से यह अवधि और इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि (अवधियों) का योग विशेष संपरीक्षा का निर्देश जारी किए जाने की तारीख से 180 दिन से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा विस्तारण केवल तभी किया जा सकता है जब निर्धारिती द्वारा इस निमित्त आवेदन किया गया हो और ऐसे विस्तारण के लिए ठोस और पर्याप्त कारण हो।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारण अधिकारी को स्वप्रेरणा से संपरीक्षा रिपोर्ट देने की अवधि का विस्तार करने के लिए भी अनुज्ञात किया जा सके। अतः यद्यपि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर विस्तारण देने की शक्ति का होना जारी रहेगा और ऐसे विस्तारण के लिए ठोस और पर्याप्त कारण हों तो वह स्वप्रेरणा से भी ऐसा विस्तारण दे सकता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 28]

आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 4 के खंड (डक) में अधिकथित शर्त का अनुपालन करने के लिए नियम 3 में वर्णित समय सीमा का विस्तारण

आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क का नियम 4 उन शर्तों का उपबंध करता है, जिनका आय-कर अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के लिए किसी भविष्य निधि द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है।

चतुर्थ अनुसूची के भाग का नियम 3 यह उपबंध करता है कि आय-कर मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान कर सकेगा, जो नियम 4 और इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में विहित शर्तों को पूरा करती है।

उक्त नियम 3 के उपनियम (1) का परंतुक, अन्य बातों के साथ, यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे किसी मामले में जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि 31 मार्च, 2008 को या उससे पूर्व नियम 4 के खंड (डक) में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं करता तो ऐसी निधि की मान्यता वापस ले ली जाएगी। नियम 4 के इस खंड (डक) में एक अपेक्षा यह है कि स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए लंबित आवेदनों पर विनिश्चय करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को और समय देने की दृष्टि से उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस समय सीमा को 31 मार्च, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक अर्थात् एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

धारा 271(1) के अधीन शास्ति के संस्थापन के लिए समाधान

आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) निर्धारण अधिकारी को उस उपधारा में सूचीबद्ध कतिपय अपराधों के लिए शास्ति के उद्ग्रहण के लिए सशक्त करती है। इसकी यह एक अपेक्षा है कि ऐसी शास्ति के उद्ग्रहण से पूर्व निर्धारण अधिकारी का समाधान अपेक्षित है।

इस मुद्दे पर कि क्या निर्धारण अधिकारी, से इस उपधारा के अधीन शास्ति की सूचना जारी करने से पूर्व अपना समाधान अभिलिखित करना अपेक्षित है या नहीं, न्यायिक राय में महत्वपूर्ण भिन्नता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्याम बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त (259 आई टी आर 625) के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे समाधान को अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा नहीं है। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय-कर आयुक्त बनाम राम कामर्शियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (246 आई टी आर 568) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा समाधान अभिलिखित अवश्य किया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर किए गए विरोधी निर्णयों और विधायी आशय से आय-कर अधिनियम का असंदिग्ध रूप से यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना अनिवार्य है कि जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती की कुल आय या हानि की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अनुज्ञात की जाती है और ऐसे आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति कार्यवाहियों के संस्थापन के लिए निर्देश अंतर्विष्ट है वहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति कार्यवाहियों के संस्थापन के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है।

इसी प्रकार का संशोधन धन कर अधिनियम में भी प्रस्तावित किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होंगे।

[खंड 48, 58]

आय-कर अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन सूचना की तामील और सूचना जारी किए जाने के लिए समय सीमा

आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि इस उपधारा के अधीन सूचना उस मास के, जिसमें विवरणी दी जाती है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर निर्धारिती पर तामील की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना की तामील साधारण खंड अधिनियम के साथ पठित आय-कर अधिनियम की धारा 282, धारा 283 और धारा 284 में अधिकथित रीति में कराई जाएगी।

विभाग की जानकारी में ऐसी घटनाएं आई हैं, जहां धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचनाएं, यद्यपि उस मास के, जिसमें विवरणी फाइल की गई थी, अंत से बारह मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक से जारी की गई थी, तथापि, इस आधार पर "अविधिमान्य" अभिनिर्धारित की गई है कि सूचना निर्धारिती द्वारा परिसीमा की तारीख के पश्चात् वास्तव में प्राप्त की गई थी और धारा के अधीन आधार तत्व के रूप में कोई "सेवा" नहीं थी। यह इस तथ्य के होते

हुए भी है कि निर्धारिती ने उस पर तामील की गई सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारण कार्यवाहियों में भाग लिया है। ऐसी घटनाएं भी जानकारी में आई हैं कि, जहां निर्धारण अधिकारी के आदेश इस विचार से अभिखंडित किए गए हैं कि सूचना के जारी किए जाने या तामील किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है, यद्यपि निर्धारिती और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त मास के अंत के प्रति निर्देश से परिसीमा अवधि की अभिकल्पना प्रशासनिक असुविधा को बनाती है क्योंकि प्रत्येक मास का अंतिम दिन समय वर्जन तारीख हो जाता है।

इन मुद्दों से निपटने और मुकदमों में कमी लाने के लिए आय-कर अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 292खख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई निर्धारिती निर्धारण या पुनर्निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में उपसंजात हुआ है या उसने किसी जांच में सहयोग किया है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अनुसार समय पर उस पर तामील कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसा कोई आक्षेप करने से निवारित होगा कि सूचना की,-

(क) इस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ख) समय पर उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ग) उस पर अनुचित रीति में तामील की गई थी।

इसी प्रकार का सशोधन धन कर अधिनियम में भी प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) का भी यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 143 की उपधारा (2) के अनुसार सूचना की निर्धारिती पर तामील उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर की जाएगी, जिसमें विवरणी दी जाती है।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 29, 52]

लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों आदि के बारे में उपधारणा

आय-कर अधिनियम की धारा 292ग, धारा 132 के अधीन तलाशी के अनुक्रम में किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की बाबत विखंडनीय उपधारणा का उपबंध करती है।

आय-कर अधिनियम की धारा 292ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इस उपधारणा को सर्वेक्षण कार्यवाही के अनुक्रम में किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों आदि तक भी विस्तारित किया जा सके। यह संशोधन, 1 जून, 2002 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इस उपधारणा को ऐसी लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों तक भी विस्तारित किया जा सके, जिन्हें धन कर अधिनियम की धारा 37ख के उपबंधों के अनुसार, धारा 132क के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त किया गया है। यह संशोधन, 1 अक्टूबर, 1975 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

इस उपधारणा को ऐसी लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों को, जिन्हें धन कर अधिनियम की धारा 37ख के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त किया गया है, विस्तारित करने के लिए धन-कर अधिनियम की धारा 42घ को संशोधित करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1975 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 53, 62]

दस्तावेजों सूचनाओं पत्रों का अधिप्रमाणन

कार्य की मात्रा में वृद्धि के कारण कर प्रशासन की मांग बढ़ती रही है। कर आधार को फैलाने और ग्रहण करने के परिणामस्वरूप करदाताओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विशुद्ध कार्य के भार को कम करने और करदाता को समय से सेवा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी मुख्य प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से इस संबंध में एक मामला "विवरणियों की ई-फाइलिंग" की स्कीम है। "रिफंड बैंकर", करों का ई-संदाय आदि जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। ये स्कीमें करदाता सेवा के स्तर को बढ़ाने के लिए आशयित हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाद में स्वेच्छया अनुपालन में वृद्धि होने की आशा है।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विवरणियों की केंद्रीयकृत कार्यवाही और सूचनाओं का केंद्रीयकृत रूप में जारी किया जाना करदाता सेवा की गुणवत्ता के लिए संकटपूर्ण है। इन स्कीमों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें अधिकारी के हस्ताक्षर और सामान्य मुद्रा का प्रयोग करके वितरित किया जाए। सूचनाओं, संसूचनाओं आदि के जारी किए जाने की बाबत ऐसी सामान्य मुद्रा का आरंभ किया जाना विभाग के साथ करदाताओं के मतभेदों को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अतिरिक्त इससे व्यष्टिक अधिकारियों का विवेकाधिकार भी पर्याप्त रूप से कम होगा और इसके परिणामस्वरूप बेहतर जवाबदेही और अनुपालन होगा।

अतः आय-कर अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए नई धारा (282क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई सूचना या अन्य दस्तावेज जारी, तामील या दिए जाने की अपेक्षा है वहां उसे अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा, यदि उस पर अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद मुद्रित, स्टांपित या अन्यथा लिखा होगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिहित आय-कर प्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है।

यह संशोधन, 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 51]

ऐसे मामलों की बाबत अपील फाइल न किए जाने का परिणाम, जहां कर प्रभाव विहित धनीय सीमा से कम है

आय-कर अधिनियम के अधीन विहित विवाद समाधान तंत्र है। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने समय-समय पर विभागीय अधिकारियों को उस दशा में अपील फाइल न करने के अनुदेश जारी किए हैं, यदि कर प्रभाव उसके द्वारा विहित धन संबंधी सीमा से कम है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त, कोलकत्ता (2004 की सिविल अपील सं. 1081 से 1083)

के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि राजस्व ने उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की शुद्धता को चुनौती नहीं दी है और एक निर्धारिती के मामले में उसे स्वीकार किया है तो राजस्व अन्य निर्धारिती के मामले में न्याय संगत कारण के बिना शुद्धता को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। विभाग की अपीलें न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा इस विचार से खारिज की जा रही हैं कि विवादित मुद्दे को उसी निर्धारिती के मामले में या किसी अन्य निर्धारिती के मामले में परिवर्तित नहीं किया गया था।

बोर्ड के अनुदेशों का आधारभूत उद्देश्य छोटे मामलों में मुकदमे कम करना है, अपील फाइल करने या न फाइल करने के राजस्व के अधिकार की संरक्षा करने की दृष्टि से नई धारा 268क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि-

* बोर्ड, धन संबंधी ऐसी सीमाएं नियत करके, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा। धन संबंधी सीमा का ऐसा नियतन इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा निर्देश के लिए अपील या आवेदन फाइल करने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए होगा।

* जहां किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में किसी मुद्दे के संबंध में बोर्ड के उपरोक्त आदेश, अनुदेश या निदेश के कारण निर्देश के लिए कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया है वहां ऐसा प्राधिकारी निम्नलिखित के मामले में उसी मुद्दे पर निर्देश के लिए अपील या आवेदन फाइल करने के लिए निवारित नहीं होगा-

(क) किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारिती; या

(ख) उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती।

* जहां बोर्ड के उपरोक्त आदेशों अनुदेशों निर्देशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा निर्देश के लिए कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है वहां किसी निर्धारिती के लिए यह प्रतिवाद करना विधिपूर्ण नहीं होगा कि आय-कर प्राधिकारी ने किसी मामले में निर्देश के लिए अपील या आवेदन फाइल न करके विवादित मुद्दे से संबंधित विनिश्चय पर उपमति दी है।

* अपील अधिकरण या न्यायालय, बोर्ड के उपरोक्त आदेशों, अनुदेशों, या निदेशों और उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा, जिसके अधीन किसी मामले की बाबत निर्देश के लिए ऐसी अपील या आवेदन फाइल किया गया था या फाइल नहीं किया गया था।

* ऐसे प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निदेश के लिए कोई अपील या आवेदन फाइल करने के लिए धन संबंधी सीमाएं नियत करके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इस नई धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और इस धारा के सभी उपबंध ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश को लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1999 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा।

[खंड 47]

विदेशी मुद्रा विनिमय बंधपत्र के संदर्भ में अंतरण पर पूंजी प्राप्ति

1992 में, सरकार ने स्थापित भारतीय कंपनियों को, अनिवासी निवेशकों के लिए विशेष कर प्रणाली के साथ, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंध पत्र (एफसीसीबी) जारी करना अनुज्ञात किया, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सके। अब सरकार ने स्थापित भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा विनिमय बंधपत्र (एफसीईबी) जारी करना अनुज्ञात किया है। ये बंधपत्र विदेशी मुद्रा में जारी किए जाते हैं, जिनकी बाबत मूलधन और ब्याज विदेशी मुद्रा में संदेय है। एफसीईबी एफसीसीबी से भिन्न हैं यहां तक कि एफसीसीबी को जारीकर्ता कंपनी के शेयरों में ही संपरिवर्तित किया जा सकता है, जबकि एफसीईबी को किसी समूह कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तित या विनिमय किया जा सकता है। एफसीईबी को गति क्षेत्र प्रदान करने के दृष्टिकोण से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि एफसीईबी का किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में संपरिवर्तन आय-कर अधिनियम के अर्थात्गत 'अंतरण' नहीं माना जाएगा।

यह और भी प्रस्ताव है कि धारा 49 की उपधारा (2क) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए कि बंधपत्र के संपरिवर्तन पर प्राप्त शेयरों के अर्जन की लागत वह कीमत होगी जिस पर तत्स्थानी बंधपत्र अर्जित किया गया।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू रहेंगे।

[खंड 11, 12]

स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 43(6) के अधीन अवलिखित मूल्य की परिभाषा के संबंध में स्पष्टीकरण

धारा 32 की उपधारा (1) का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि अवक्षयण आस्तियों के किसी ब्लाक के अवलिखित मूल्य की विहित प्रतिशतता पर अनुज्ञात किया जाएगा। धारा 43 का खंड (6) का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि पूर्ववर्ष से पहले अर्जित आस्तियों की दशा में, अवलिखित मूल्य से निर्धारिती की वह वास्तविक लागत अभिप्रेत है जो आय-कर अधिनियम के अधीन उसकी वस्तुतः अनुज्ञात किए गए सभी अवक्षयण को उसमें से घटाकर आए।

कुछ व्यक्तियों को कर से छूट दी गई, और, इसलिए उन्हें "कारबार या वृत्ति से लाभों और प्राप्ति" मद के अधीन अपनी आय की संगणना करना अपेक्षित नहीं था। छूट वापस लेने पर, ऐसे व्यक्ति आय-कर के दायी हो गए और अतः उनसे आय-कर के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की संगणना करना अपेक्षित था। इस संदर्भ में, अर्जित वर्षों के दौरान उन आस्तियों की बाबत जब उन्होंने छूट का लाभ उठाया, आय-कर अधिनियम के अधीन अवक्षयण अनुज्ञात करने के आधार पर विवाद उत्पन्न हुआ।

आय-कर अपील अधिकरण ने अधिनिर्णीत किया कि चूंकि कर का कोई दायित्व नहीं था, ऐसे व्यक्ति की आय की संगणना आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन करना अनावश्यक था। इसलिए, उन वर्षों में पुस्तकों में उपबंधित अवक्षयण, जब आय को छूट प्रदान की गई, "वास्तव में अनुज्ञात" अवक्षयण के रूप में नहीं माना जा सकता। तदनुसार, यह अधिनिर्णीत किया गया कि पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति को आय-कर से छूट मिलनी बंद हो जाती है, आय-कर अधिनियम के अधीन अवक्षयण का दावा करने के प्रयोजनों के लिए आस्ति की वास्तविक लागत अवलिखित मूल्य थी। यह निर्वचन अवक्षयण के उपबंधों के आशय और प्रयोजन के अनुरूप नहीं है। तदनुसार, धारा 43(6) को निम्नलिखित 'उपबंधों' के लिए संशोधित करना प्रस्तावित है,-

(क) किसी आस्ति के वास्तविक मूल्य को उस आस्ति के पुनर्मूल्यांकन के रूप में मान्य रकम से, यदि कोई हो, लेखा-बहियों में समायोजित किया जाएगा;

से संयुक्त आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी करने के लिए यह उचित मामला है। डा. शशि कान्त गर्ग बनाम आयकर आयुक्त 285 आईटीआर 158 वाले मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ऐसी स्थिति में धारा 148 के अधीन सूचना संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में विधायी आशय बहुत स्पष्ट रहा है। संयुक्त आयुक्त का समाधान निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर होना अपेक्षित है। उसको स्वयं सूचना जारी करने के लिए और अपेक्षा नहीं है।

अतः विधायी आशय को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि-

- (i) यह उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 148 का संशोधन किया जाए कि निर्धारण अधिकारी उस आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा जो प्रभावी है और निर्धारण से छूट गई है और वह उस आय से भिन्न है जिसमें ऐसे विषय अंतर्वलित है जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषयवस्तु हैं।
- (ii) यह उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 151 का संशोधन किया जाए कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त को, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने पर, स्वयं सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

धन-कर अधिनियम में ऐसे ही संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

धारा 148 से सम्बन्धित संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

धारा 151 से सम्बन्धित संशोधन 1 अक्टूबर 1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

[खंड 30]

स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने के परिणाम

धारा 201 के अधीन किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जाता है यदि वह स्रोत पर कर की कटौती करने में असफल रहा है या ऐसे कर की कटौती कर लिए जाने के पश्चात स्रोत पर कटौती किए गए कर को जमा करने में असफल रहा है। धारा 201 की परिधि के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति निम्नलिखित हैं,-

- (i) धारा 200 में निर्दिष्ट व्यक्ति;
- (ii) धारा 194 में (जो लाभांशों पर स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित है) निर्दिष्ट मामलों में प्रधान अधिकारी और वह कम्पनी जिसका वह प्रधान अधिकारी है। धारा 200 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि वेतन से भिन्न आयों पर स्रोत पर किसी कर की कटौती करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार कटौती की गई राशि का संदाय केन्द्रीय सरकार को विहित समय के भीतर करेगा या जैसा बोर्ड निर्देश दे।

यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि धारा 201 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने में असफलता नहीं आती है। ऐसा निर्वचन विधानमंडल के आशय के विपरीत है। अतः यह संशोधन धारा 201 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जहां कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कंपनी का कोई प्रधान अधिकारी भी है, जो-

- (i) जिससे आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने की अपेक्षा की जाती है; या
- (ii) धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट, कोई नियोजक है,

आय-कर अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है, या ऐसी कटौती करने के पश्चात संदाय करने में असफल रहता है या संदाय नहीं करता है तो वह धारा 201 के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।

धारा 201 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है यह संशोधन 1 जून, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

वैसा ही संशोधन धारा 191 के स्पष्टीकरण में भी किया गया है।

धारा 191 के स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए यह संशोधन 1 जून, 2003 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 38, 43]

आय-कर अपील अधिकरण की मांग पर रोक के बारे में स्पष्टीकरण

आय-कर अपील अधिकरण (आईटीएटी) को अपीलों के संबंध में उपबंध आय-कर अधिनियम की धारा 252 से धारा 255 में अंतर्विष्ट हैं। धारा 254 की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि आईटीएटी, जहां यह संभव है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर किसी अपील का विनिश्चय कर सकेगी जिसमें ऐसी अपील फाइल की जाती है।

इस उपधारा का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि आईटीएटी, गुणावगुण के आधार पर, किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोकाने का पारित कर सकेगा। तथापि, रोक की ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से 180 दिन से अधिक नहीं हो सकती और आईटीएटी रोक की इस अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

इस उपधारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां अपील का इस अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया गया है और अपील के निपटारे में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, तो आईटीएटी द्वारा मूल रूप से अनुज्ञात की गई रोक की अवधि को और विस्तारित अवधि का योग 365 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। आईटीएटी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विस्तारित अवधि के भीतर अपील का निपटारा करे।

इस उपधारा का तीसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि ऐसी अपील का विनिश्चय मूल रूप से अनुज्ञात अवधि या इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों में नहीं किया जाता है तो ऐसी अवधि या अवधियों के अवसान के पश्चात रोकाने का रद्द हो जाएगा।

इन उपबंधों को करने का अत्यधिक स्पष्ट आशय यह रहा है कि आईटीएटी कुल 365 दिन की अवधि से परे किसी मूल आदेश या किसी पश्चातवर्ती आदेश के अधीन रोक मंजूर नहीं कर सकता।

इस आशय को स्पष्ट करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन किया जाए तथा यह और उपबंध किया जाए कि मूल रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों का योग, किसी भी दशा में, तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं होगा, तब भी नहीं जब अपील के निपटारे में हुआ विलंब निर्धारिती के कारण नहीं है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगा।

[खंड 46]

पुनरीक्षित समाधान स्कीम का सुव्यवस्थीकरण

शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति और समझौता प्रक्रियाओं के उपशमन से संबंधित उपलब्ध निर्धारण की समय सीमा उपलब्ध कराने से संबंधित उपबंधों को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

वित्त अधिनियम, 2007 में, मामलों के समाधान की स्कीम में व्यापक संशोधन किए गए थे। यह स्कीम विभिन्न परिस्थितियों में समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन के लिए उपबंध करती है। ऐसे विभिन्न मुद्दों पर, जो समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन की दशा में उदभूत हो सकेंगे, कार्यवाही करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे मामलों में, जिनका उपशमन होता है, शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए आय-कर आयुक्त को सशक्त करने हेतु विधि का संशोधन किया जाए।

शास्ति से उन्मुक्ति प्रदान करने वाली स्कीम की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:-

- * निर्धारिती (वह व्यक्ति जिसके मामले का धारा 245जक के अधीन उपशमन किया गया है) द्वारा उन्मुक्ति के लिए आवेदन आय-कर आयुक्त को किया जाना चाहिए।
- * यदि समझौता, कार्यवाहियों से पूर्व या उनके लंबित रहने के दौरान कोई शास्ति उदगृहीत की गई थी तो निर्धारिती किसी भी समय उन्मुक्ति के लिए आयुक्त को संपर्क कर सकता है।
- * यदि समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन तक कोई शास्ति उदगृहीत नहीं की गई थी तो निर्धारिती को, आय-कर प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उन्मुक्ति के लिए आवेदन करना चाहिए।
- * उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा, उसका समाधान हो जाने पर मंजूर की जा सकती है।
- * इस संबंध में समाधान अपेक्षित है कि निर्धारिती ने उपशमन के पश्चात कार्यवाहियों में सहयोग किया है और उसने अपनी आय तथा ऐसी आय को प्राप्त करने की रीति का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है।
- * उन्मुक्ति को ऐसी शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है, जिन्हें आयुक्त अधिरोपित करना उपयुक्त समझे।
- * अनुदत्त उन्मुक्ति वापिस ले ली जाएगी, यदि ऐसा निर्धारिती किसी शर्त का, जिसके अधीन उन्मुक्ति अनुदत्त की गई थी, अनुपालन करने में असफल रहता है।
- * अनुदत्त उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा वापिस ली जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती ने कार्यवाहियों के दौरान उपशमन के पश्चात आय-कर प्राधिकारी से किन्ही विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था।

उसी प्रकार, अभियोजन से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- * उन्मुक्ति के लिए उपशमन के पश्चात अभियोजन कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने से पूर्व आय-कर आयुक्त को किसी निर्धारिती (ऐसा व्यक्ति जिसके मामले का धारा 245जक के अधीन उपशमन किया गया है) द्वारा आवेदन अवश्य किया जाना चाहिए।
- * यदि अभियोजन कार्यवाहियां जब निपटान कार्रवाहियों से पहले या उसके लंबित रहने के दौरान संस्थित की गई हैं, तब निर्धारिती किसी भी समय उन्मुक्ति के लिए आयुक्त को अनुरोध कर सकेगा। तथापि यदि निर्धारिती ने अभियोजन के संस्थापन के लिए आयकर प्राधिकारी से कोई नोटिस आदि प्राप्त किया है तो उसे अभियोजन के वास्तविक रूप से संस्थित किए जाने से पूर्व उन्मुक्ति के लिए आयुक्त के समक्ष आवेदन करना चाहिए।
- * आयुक्त द्वारा उसका समाधान हो जाने पर उन्मुक्ति अनुदत्त की जा सकती है।
- * समाधान इस रूप में अपेक्षित है कि निर्धारिती ने उपशमन के पश्चात कार्यवाहियों में सहयोग दिया है और अपनी आय और वह रीति जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई है, का पूर्ण और सही प्रकटन किया है।
- * जहां धारा 245ग के अधीन निपटान के लिए आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था, वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति भी प्रदान कर सकता है।
- * उन्मुक्ति ऐसी शर्तों के अध्यधीन हो सकती है जिन्हें आयुक्त अधिरोपित करना समझे।
- * अनुदत्त उन्मुक्ति वापिस ले ली जाएगी यदि ऐसा निर्धारिती ऐसी किसी शर्त का, जिसके अध्यधीन उन्मुक्ति अनुदत्त की गई थी, अनुपालन करने में असफल रहता है।
- * अनुदत्त उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा वापिस ली जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती ने कार्यवाहियों के दौरान उपशमन के पश्चात आय-कर प्राधिकारी से किन्ही विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे आय-कर प्राधिकारी को, जिसके समक्ष तब मामला लंबित था, जब आवेदन समझौता आयोग के पास फाइल किया गया था, एक वर्ष की न्यूनतम समयावधि अनुज्ञात की जा सके। यह समय सीमा 1 जून, 2007 से भूतलक्षी रूप से लागू है। यह समझा जाएगा कि यह पुनरीक्षित समय सीमा उन सभी मामलों पर लागू होगी जहां समझौता कार्यवाहियां 1 जून, 2007 और उसके पश्चात उपशमित होगी।

वैसे ही संशोधन धन-कर अधिनियम में भी प्रस्तावित किए गए हैं।

शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की आयुक्त की शक्ति से संबंधित संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

[खंड 32, 49, 50, 59, 60]

अनुषंगी फायदा कर

अनुषंगी फायदा कर के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 115बख की उपधारा (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि जहां कोई नियोजक मनोरंजन, आतिथ्य, संगोष्ठी और बिक्री संवर्धन (जिसमें प्रचार है) पर कोई व्यय उपगत करता है तो यह माना जाएगा कि ऐसे नियोजक ने अपने कर्मचारियों को अनुषंगी फायदा दिया है। आय-कर अधिनियम की धारा 115बख नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन का उपबंध करती है।

अनुषंगी फायदा कर के उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण की दृष्टि से आय-कर अधिनियम की धारा 115बख की उपधारा (2) में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं-

(i) अनुषंगी फायदा कर के मूल्य की संगणना के लिए आतिथ्य व्यय से पूर्व संदत्त इलेक्ट्रॉनिक भोजन कार्ड के माध्यम से व्यय या संदाय को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भोजन कार्ड हस्तांतरणीय नहीं होने चाहिए, उनका प्रयोग इटिंग ज्वायंट या आउटलेटों पर ही होना चाहिए और इन्हें अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं पूरा करना चाहिए।

(ii) खंड (ड) के स्पष्टीकरण का संशोधन करना प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उपगत कोई व्यय या निम्नलिखित को किया गया कोई संदाय-

* कर्मचारी के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराना; या

* किसी खिलाड़ी को, जो कर्मचारी है प्रायोजित करना; या

* कर्मचारियों के लिए खेल आयोजन आयोजित करना

अनुषंगी फायदे के मूल्य के प्रकलन के प्रयोजन के लिए कर्मचारी कल्याण पर व्यय नहीं माना जाएगा।

(iii) खंड (ट) का लोप करना प्रस्तावित है। इसलिए अतिथि गृह की प्रकृति के किसी आवास पर कोई व्यय का उसके अनुरक्षण के लिए किसी संदाय के अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) का संशोधन करना प्रस्तावित है ताकि त्योहार मनाने पर व्यय का विद्यमान 50% का मूल्यांकन करने का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 22, 23]

कर्मचारी द्वारा कर का माना गया संदाय जहां उसे आवंटित प्रतिभूतियों पर अनुषंगी फायदा कर की वसूली नियोक्ता द्वारा की गई है

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तारीख 20 दिसम्बर, 2007 को परिपत्र संख्या 9/2007 जारी किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुषंगी फायदा कर के मामले में जहां ईएसओपी के अधीन शेरों के आवंटन या अन्तरण के मद्दे भारत में आधारित किसी कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता द्वारा संदाय किया गया है और बाद में उसके द्वारा वसूला गया है अनुषंगी फायदा कर प्रभावी रूप से कर्मचारी द्वारा उपयोग किए गए अनुषंगी फायदों के लिए कर्मचारी द्वारा संदत्त किया गया है। अतः ऐसा कर्मचारी विदेश में अनुषंगी फायदा कर के लिए ईएसओपी के अधीन आवंटित या अंतरित शेरों के मद्दे भारत में नियोक्ता द्वारा संदाय के लिए कर प्रत्यय का दावा कर सकता है।

करदाताओं से यह सुझाव देते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आय-कर अधिनियम में यह स्पष्टीकरण सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें विदेशी मुद्रा में कर प्रत्यय का दावा करने में समर्थ बनाया जा सके। चूंकि प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण से असंगत है और राजस्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है, एक नई धारा 115बख अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रस्ताव किया जा सके कि जहां अनुषंगी फायदा कर (विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साहय पूंजी अंशों के आवंटन या अन्तरण की बाबत) नियोजक द्वारा संदत्त नहीं किया गया है और तत्पश्चात कर्मचारी से वसूल किया गया है, आनुषंगिक फायदा कर की वसूली, ऐसे कर्मचारी द्वारा, उसे प्रदान किए गए आनुषंगिक फायदों के मूल्य के संबंध में संदत्त कर समझा जाएगा। धारणा खंड उस मात्रा तक ही लागू होगा जिस तक वसूली की रकम ऐसे कर्मचारी को प्रदान किए गए आनुषंगिक फायदों के मूल्य से संबंधित है। नई धारा यह और उपबंध करने के लिए है कि, उपरोक्त परिस्थिति में, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी कर के ऐसे समझे गए संदाय में से किसी प्रतिदाय के लिए हकदार नहीं होगा; और किसी अन्य आय पर कर दायित्व के प्रति या किसी अन्य कर दायित्व के प्रति कर के ऐसे समझे गए संदाय के किसी प्रत्यक्ष का दावा करने का हकदार भी नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 26]

प्रतिभूति संव्यवहार कर

प्रतिभूति संव्यवहार कर के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 8 की धारा 98 प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) के प्रभार के लिए उपबंध करती हैं। यह उपबंध किया जाता है कि किसी व्युत्पन्न के विक्रय की दशा में जहां ऐसे विक्रय का संव्यवहार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संव्यवहार कर 0.017 प्रतिशत की दर से होगा और विक्रेता द्वारा संदेय होगा।

धारा 98 और धारा 99 का संशोधन करने के प्रस्ताव हैं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,

(i) प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय की दशा में, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां एसटीटी परिनिर्धारण कीमत के 0.125 प्रतिशत की दर से उदगृहीत किया जाएगा और क्रेता द्वारा संदत्त किया जाएगा; और

(ii) प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय की दशा में जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां एसटीटी को समझौता मूल्य के 0.125 प्रतिशत से उदगृहीत किया जाएगा और क्रेता द्वारा संदत्त किया जाएगा, और

(iii) भावी प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में, एसटीटी 0.017 प्रतिशत की दर से उदगृहीत किया जाएगा और विक्रेता द्वारा संदेय होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

वर्तमान में, संदत्त एसटीटी की रकम आय-कर अधिनियम की धारा 88ड के अधीन रिबेट के रूप में अनुज्ञात की जाती है। यह रिबेट तब अनुज्ञात आय शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' के अधीन सम्मिलित की जाती है।

आय-कर अधिनियम की धारा 88ड के अधीन ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध रिबेट को बंद करने का प्रस्ताव है। अतः धारा 88ड के अधीन कोई रिबेट 1 अप्रैल, 2009 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात निर्धारिती को कोई रिबेट नहीं दी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि कारबार के दौरान प्रविष्ट किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर की कोई रकम इस शर्त के अधीन रहते हुए आय-कर अधिनियम की धारा 36 के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी कि कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से ऐसी आय शीर्ष "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन सम्मिलित की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7, 8, 17, 119]

बैंककारी नकद संव्यवहार कर

बैंककारी नकद संव्यवहार कर को बंद करना

बैंककारी नकद संव्यवहार कर (बी.सी.टी.) वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा आरंभ किया गया। यह कराधेय बैंककारी संव्यवहार पर 0.1 प्रतिशत (10 आधार बिन्दु) की दर पर उदगृहण का उपबंध करता है। "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" को उस संव्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो,-

- किसी अनुसूचित बैंक में खोले गए (बचत बैंक खाता से भिन्न) किसी खाते से किसी एक दिवस को विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक (किसी भी प्रणाली से) नकद निकालना; या
- चाहे परिपक्वता पर या अन्यथा, एक या अधिक सावधि जमाओं के किसी एक दिवस को किसी अनुसूचित बैंक से नकदीकरण पर विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नकद की प्राप्ति है।

व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में विनिर्दिष्ट सीमा 50,000/- रुपए तथा अन्य व्यक्ति की दशा में 1,00,000/- रुपए है।

धारा 95 में नई उपधारा (3) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 31 मार्च, 2009 के पश्चात किए गए किसी कराधेय बैंककारी संव्यवहार की बाबत कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

[खंड 120]

सीमा-शुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमा-शुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सी वी डी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. परियोजना संबंधी आयात:

परियोजना संबंधी आयातों पर लागू 7.5% सीमा-शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. रसायन और पेट्रो रसायन:

- (1) कच्चे और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा-शुल्क 5% से घटा कर 2% कर दिया गया है।
- (2) फास्फोरिक अम्ल पर सीमा-शुल्क इसके उपयोग को ध्यान में न रखते हुए 5% की दर पर एकीकृत किया गया है
- (3) विनिर्दिष्ट पालीमरों के विनिर्माण के लिए नाथ्या पर वर्तमान में उपलब्ध सीमा-शुल्क छूट को वापस ले लिया गया है।

ग. निर्यात संवर्धन

- (1) अकर्मित या मात्र तैयार किए मूंगा पर सीमा-शुल्क 10% से घटा कर 5% कर दिया गया है।
- (2) खुदरा पनीय जिरकार्निआ पर सीमा-शुल्क 5% से घटा कर शून्य कर दिया गया है
- (3) पनीय जिरकार्निआ (पालिशकृत) पर सीमा-शुल्क 10% से घटा कर 5% कर दिया गया है
- (4) टूना चारे पर सीमा-शुल्क 30% से घटा कर शून्य कर दिया गया है।
- (5) खेलकूद के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा-शुल्क 7.5% से घटा कर 5% कर दिया गया है
- (6) निर्यात के लिए खेलकूद के सामानों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा-शुल्क 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष में निर्यातों के पोत पर्यन्त मूल्य के 3% तक।

घ. डेयरी/कुक्कुट

- (1) बैक्टोफ्यूजिस पर सीमा-शुल्क 7.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- (2) आहार संयोज्यों/पूर्व-मिश्रणों पर सीमा-शुल्क 30% से घटा कर 20% कर दिया गया है

ङ. सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक उद्योग

- (1) विनिर्दिष्ट समाभिरूप सीमा-शुल्क 10% से घटा कर 5% कर दिया गया है।
- (2) सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और इनपुटों पर सीमा-शुल्क 10%/7.5% से घटा कर अंत उपयोग के आधार पर शून्य कर दिया गया है।
- (3) सैट-टॉप बाक्सों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर सीमा-शुल्क 7.5% से घटाकर अंतउपयोग आधार पर शून्य कर दिया गया है।

च ओषधियां और किटें

- (1) उत्पाद-शुल्क छूट के माध्यम से छह विनिर्दिष्ट ओषधियों/किटों, और प्रपुंज ओषधियों पर, उनके विनिर्माण के लिए सीमा-शुल्क को शून्य प्रतिशुल्क के साथ 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन ओषधियों का उपयोग कर्क रोग/मधुमेह/दमा/हेपेटाइटिस बी आदि के उपचार के लिए किया जाता है।
- (2) इलिसा किटों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर पर सीमा-शुल्क को 10%/7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है

छ धातुएं

- (1) लौह या इस्पात मेल्टिंग स्क्रैप पर सीमा-शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- (2) एल्यूमिनियम स्क्रैप पर सीमा-शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ड एनसीसीडी:

पोलिएस्टर फिलामेंट सूत पर वर्तमान उद्ग्रहणीय 1% राष्ट्रीय विपदा आकस्मिक शुल्क को वापस ले लिया गया है।

झ अन्य अनुतोष उपाय:

- (1) टायर उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर सीमा-शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- (2) हैलीकाप्टर सिम्युलेटर्स पर सीमा-शुल्क को 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ञ तंबाकू उत्पाद:

सिगारों, चिरूट और सिगारिलो पर सीमा-शुल्क को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

ट 4% अतिरिक्त सीमा-शुल्क:

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (मेगा विद्युत परियोजनाओं से भिन्न), पारेषण, उप-पारेषण और वितरण परियोजनाओं और उच्च वोल्टता पारेषण परियोजनाओं के लिए मालों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5)के अधीन उदग्रहीत किए जाने वाले 4% अतिरिक्त सीमा-शुल्क की छूट को वापस ले लिया गया है।

ठ निर्यात शुल्क:

सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्कों और सांद्रणों पर निर्यात शुल्क की दर को 2000 रु0 प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3000 रु0 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।

ड प्रकीर्ण:

- (1) संविदाओं में अस्थाई उपयोग के लिए आयातित पट्टाधृत उपस्कर के पुनः-निर्यात की अवधि को 12 मास से बढ़ाकर 18 मास कर दिया गया है। ऐसे आयातों पर लागू स्लैब दरों को पूर्व उपबंधित अर्द्धवार्षिक आधार के प्रति अब त्रैमासिक आधार पर उपबंधित किया गया है। दरों को भारत में मालों के प्रतिधारण की अवधि, पर निर्भर करते हुए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(2) के अधीन अनुज्ञेय शुल्क वापसी की दरों के अनुरूप भी बनाया गया है। तथापि, जब इन पट्टाधृत मालों का पुनःनिर्यात किया जाता है, तो कोई शुल्क वापसी अनुज्ञेय नहीं होगी।
- (2) ऐसे मालों की बाबत जिनका आयात के बाद उपयोग किया गया है के संबंध में शुल्क वापसी की दरों को संविदाओं में अस्थायी इस्तेमाल के लिए आयातित पट्टाधृत उपस्कर और मशीनरी को रखने की अवधि के आधार पर विहित संदेय शुल्क की दरों के अनुरूप बनाया गया है। ऐसे मालों पर अनुज्ञेय शुल्क वापसी की अवधि 36 मास से घटाकर 18 मास कर दी गई है।
- (3) पॉलिमर लॉग रोड इसुलेटरों को उपलब्ध रियायती सीमा-शुल्क को केवल 765 के वी रेटिंग को पॉलिमर लॉग रॉड इसुलेटरों तक निर्बंधित कर दिया गया है।
- (4) 0.177 कैलीवर की एयरगनों को सीमा-शुल्क और सीवीडी से छूट दी गई है। परिणामस्वरूप इन एयरगनों को 4% के अतिरिक्त शुल्क से भी छूट दी गई है।
- (5) वैद्युत ऊर्जा पर प्रति 1000 केडब्ल्यूएच पर 2000 रु0 का टैरिफ विहित किया गया है। तथापि प्रभावी दर शून्य बनी रहेगी।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

टिप्पण: परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

क. साधारण केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर दर:

उत्पाद-शुल्क (केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर) की दर को 16% से घटा कर 14% कर दिया गया है। 24%, 12% और 8% की शेष मूल्यवर्धित दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

ख. सेक्टर विनिर्दिष्ट अनुतोष उपाय:

I. ओषध और भेषज:

(क) सभी ओषधों (निर्मितियों) पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है:

(i) त्वरित जीवाणुरोधी पट्टियां, ज्वलन उपचार पट्टियां, कॉर्न रिमूवर आदि

(ii) जीवाणुरोधी शल्य चिकित्सा तांत, जीवाणुरोधी सोखनीय शल्य चिकित्सा और घावों आदि को बंद करने के लिए जीवाणुरोधी टिश्यु एडिहिसिव आदि

(iii) प्राथमिक चिकित्सा किटें, रक्त समूहन अभिव्यक्ति आदि।

(ग) एड्स रोधी ओषध एटाजनावीर और इसके विनिर्माण के लिए बहुत औषधियां को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

II ऑटो क्षेत्र:

निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क घटा दिया गया है:

(क) छोटी कारों पर 16% से घटा कर 12%।

(ख) हाइब्रिड कारों पर 24% से घटा कर 14%।

(ग) इलेक्ट्रिक कारों पर 8% से घटा कर शून्य %।

(घ) अंतिम उपयोग के आधार पर इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्दिष्ट हिस्से-पुर्जों पर 16% से घटा कर शून्य %।

(ङ) बसों और 13 व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए अन्य वाहनों पर 16% से घटा कर 12% और ऐसे वाहनों की चेसियों पर 16%+10,000 रु0 से घटा कर 12%+10,000 रु0 कर दिया गया है।

(च) दोपहिया और यात्री तिपहियों (सात व्यक्तियों तक के लिए) 16% से घटा कर 12%।

III खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर:

(i) निम्नलिखित को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है:

(क) डिब्बाबंद मृदु नारियल पानी

(ख) पाव, मूड़ी (मुरमुरा) और सदृश

(ग) दूध जो खाद्य मेंवों से युक्त है

(घ) चाय/काफी पूर्व मिश्रण

(ii) अंतिम उपयोग के आधार पर शीत भांडागार, शीत कक्ष या प्रशीतित वाहनों पर प्रतिष्ठापन के लिए विनिर्दिष्ट प्रशीतन उपस्करों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है।

(iii) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है।

(क) म्यूस्ली, कोर्न-फ्लैक और वैसे ही नाश्ते के अन्न

(ख) शर्बत

(ग) पैकेजिंग सामग्री, अर्थात् :

➤ खुले टॉप वाले सेनेटरी केन

➤ अपूतिक पैकेजिंग पेपर

➤ अपूतिक बैग

IV सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र:

(क) बेतार डेटा मोडेम कार्डों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है। परिणामस्वरूप आयातित कार्डों को भी प्रतिशुल्क से छूट दी जाएगी। तथापि 4% का अतिरिक्त सीमा-शुल्क लागू रहेगा।

(ख) विनिर्दिष्ट समाभिरूप उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

(ग) पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद-शुल्क 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है।

V कागज और कागज उत्पाद

(1) लेखन कागज, मुद्रण कागज और पैक करने वाले कागज पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

(2) किसी इकाई से एक वर्ष में 3500 मीट्रिक टन के समाशोधन तक, गैर-परंपरागत कच्ची सामग्री से विनिर्मित कागज और कागज-उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।

- (3) (बांस/काष्ठ पल्प प्लांट संलग्न न रखने वाली) किसी इकाई से एक वर्ष में 3500 मीट्रिक टन से अधिक समाशोधन वाली, गैर-परंपरागत कच्ची सामग्री से विनिर्मित कागज और कागज-उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

ग अन्य रियायतें:

- (क) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है:
- कम्पोस्टिंग मशीन
 - मेंथोल/मेंथोल शल्क
- (ख) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है:
- जल शोधन और शुद्धीकरण युक्तियां
 - वेनीर और फ्लश दरवाजे
 - उष्मारोधी रबर टेंशन टेप
 - मार्कर पेन, हाइलाइटर आदि के लिए स्याही
- (ग) पान मसाले, जिनमें तम्बाकू नहीं है, तथा सुपारी की मात्रा 15% से अधिक नहीं है, पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है। इसे राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क से भी छूट प्रदान की गई है।

घ सीमेंट

- (क) बल्क सीमेंट पर उत्पाद शुल्क 400 रु0 प्रति टन से पुनरीक्षित कर 14% या 400 रु0 प्रति टन; जो भी अधिक हो, कर दिया गया है।
- (ख) सीमेंट क्लिंकर पर उत्पाद-शुल्क 350 रु0 प्रति टन से बढ़ाकर 450 रु0 प्रति टन कर दिया गया है।

ङ सिगरेट:

वर्तमान में, सिगरेट पर उत्पाद-शुल्क उनके फिल्टर या नॉन-फिल्टर तथा लम्बाई पर निर्भर करते हुए विभिन्न दरों पर लगता है। नॉन-फिल्टर सिगरेटों को समान लम्बाई की फिल्टर सिगरेटों के बराबर करते हुए उन पर उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया गया है। नॉन-फिल्टर सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क (आधारिक+राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क+स्वास्थ्य उपकर) की संशोधित दरें निम्नलिखित हैं

क्र०सं०	वर्णन	से	तक
(रु0 प्रति 1000)			
नॉन-फिल्टर सिगरेट			
1.	लम्बाई में 60 मि०मी० से अनधिक	168	819
2.	लम्बाई में 60 मि०मी० से अधिक किन्तु 70 मि०मी० से अनधिक	546	1323

च पेट्रोलियम

ब्रांड नाम के बगैर विक्रीत मोटर स्पिरिट (एमएस)/हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर शुल्क की दरों को मूल्यानुसार+विशिष्ट दर' से निम्नानुसार शुद्ध 'विनिर्दिष्ट दर' में संपरिवर्तित किया गया है:

क्र०सं०	वर्णन	से	तक
1.	मोटर स्पिरिट	6% + 13 रु0 प्रति लिटर	14.35 रु0 प्रति लिटर
2.	हाई स्पीड डीजल	6% + 3.25 रु0 प्रति लिटर	4.60 रु0 प्रति लिटर

ब्रांडेड ईंधनों पर शुल्क की दरें वर्तमान मूल्यानुसार सह विनिर्दिष्ट दरों को आकर्षित करती रहेंगी, अर्थात् निम्नानुसार रहेंगी:

- (क) मोटर स्पिरिट : 6%+13 रु0 प्रति लिटर
- (ख) एच०एस०डी० : 6%+3.25 रु0 प्रति लिटर

छ एन०सी०सी०डी०:

- (1) मोबाइल फोनों पर 1% की दर से राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) अधिरोपित किया गया है। आयातित मोबाइल फोनों पर, यह शुल्क, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अधीन अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत किया जाएगा।
- (2) पॉलिस्टर फिलामेंट पर वर्तमान में उद्ग्रहणीय 1% का राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क वापस ले लिया गया है।

ज प्रकीर्ण:

- (1) साधारण लघु उद्योग (एसएसआई) छूट का बोरों/थैलों के विनिर्माण में आबद्ध रूप से उपभोग किए गए एचडीपीई/पीपी टेपों पर विस्तार किया गया है। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।
- (2) निर्यातान्मुख इकाइयों, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों आदि से घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए माल की निकासी को लागू शुल्क की दर वैसे ही मालों पर संदेय आधारिक सीमा-शुल्क+उत्पाद-शुल्क को 25% से वैसे ही माल पर संदेय आधारिक सीमा-शुल्क+उत्पाद शुल्क 50% तक पुनरीक्षित किया गया है।
- (3) "शटल रहित करघों" पर उत्पाद-शुल्क छूट वापस ले ली गई है। अब इन मालों पर 8% उत्पाद-शुल्क दरों की कटौती के परिणामस्वरूप, विभिन्न मर्दों के लिए अधिकतम खुदरा कीमत से अनुज्ञात कटौती दरों में उपयुक्त रूप से कटौती की गई है।
- (4) खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर उत्पाद-शुल्क से उद्ग्रहणीय विनिर्दिष्ट मालों पर उत्पाद-शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप ऐसे मालों के लिए उपशमन दरों में समुचित रूप से पुनरीक्षण किया गया है।

झ सीमा-शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में संशोधन:

(जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो वित्त विधेयक के अधिनियम पर प्रभावी होंगे)

- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 2 का खंड (घ) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, "मालों" में कोई वस्तु, सामग्री या पदार्थ शामिल है जिसको खरीदा जा सकता है और प्रतिफल के लिए बेचा जा सकता है ऐसे माल के लिए समझा जाएगा कि उसका विपणन किया जा सकता है।
- (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 3क अन्तःस्थापित की जा रही है जो केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित मालों के संबंध में उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभासित करने में और उनकी प्रक्रिया अधिसूचित करने में समर्थ बनाएगी।
- (3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ख का, किसी उत्पाद-शुल्क पर संदत्त ब्याज के प्रतिदाय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
- (4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11घ का संशोधन किया जा रहा है ताकि केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा किसी उत्पाद-शुल्क माल पर निर्धारित शुल्क या विनिर्धारित और संदत्त शुल्क से अधिक व्यपदिष्ट शुल्क के रूप में संग्रहित शुल्क की रकम वसूलने के लिए या किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत व्यपदिष्ट किसी उत्पाद शुल्क मालों पर जो पूर्णतया छूट प्राप्त हैं या उन पर शून्य शुल्क कर प्रभार्य है, संग्रहीत शुल्क वसूलने के लिए सक्षम बनाएगा।
- (5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11घ का धारा 11घ के अधीन संग्रहीत रकमों पर ब्याज की वसूली के लिए उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
- (6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ख का जहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति में आयुक्त (अपील) के द्वारा किसी अपील में पारित आदेश की वैधता और औचित्य पर राय की भिन्नता हो वहां भाग लेने को आधिकारिक मुख्य आयुक्त को निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
- (7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ड को जहाँ मुख्य आयुक्तों की समिति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के न्यायनिर्णयन अधिकार के रूप में पारित आदेश पर राय की भिन्नता रखती है, मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। धारा 35ड का भी यह उपबंध करने के लिए कि अधिनियम की धारा 35ड के अधीन पारित आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा, संशोधन किया जा रहा है।
- (8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में अपीलार्थी द्वारा, जो अपील में सफल होते हैं, अपील प्राधिकारी के आदेश की न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर अपीलार्थी द्वारा किए गए पूर्व जमा पर, यदि पूर्व जमा की रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो ब्याज के संदाय के लिए उपबंध करने के लिए धारा 35च अन्तःस्थापित की जा रही है।
- (9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 39 का टिप्पण 16 यह विनिर्दिष्ट करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि धात्विकरण की प्रक्रिया के अतिरिक्त लेमिनेशन या लेकरिंग की प्रक्रिया भी विनिर्माण होगी।
- (10) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के कतिपय अध्यायों के समतुल्य प्रक्रियाओं की परिभाषा को विनिर्माण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2च(iii) में वर्णित विनिर्माण की परिभाषा के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- (11) उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 की धारा 28ख को एक नई उपधारा अंतःस्थापित करके संशोधित किया जा रहा है जिससे केन्द्रीय सरकार किसी माल के संबंध में निर्धारित या अवधारित या संदत्त शुल्क से अधिक सीमा शुल्क को व्यपदिष्ट करने के रूप में संग्रहीत किसी रकम या किसी ऐसे माल, जो पूर्णतः छूट प्राप्त है या शून्य शुल्क दर से प्रभार्य है, पर सीमाशुल्क को व्यपदिष्ट करने के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किसी रकम को वसूल कर सके।
- (12) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 को, सभी सीमा-शुल्क अधिकारियों को समन जारी करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- (13) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 117 को शास्ति की अधिकतम रकम को विद्यमान दस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- (14) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129क को संशोधित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश की वैधता या औचित्य पर अपील में पारित आदेश से भिन्न है, तो वह उस मामले को आधिकारिक मुख्य सीमा-शुल्क आयुक्त को निर्देश करेगी।
- (15) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घ को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के बारे में भिन्न है, तो वह मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट करेगी। धारा 129घ को यह उपबंध करने के लिए भी संशोधित किया जा रहा है कि अधिनियम की धारा 129घ के अधीन पारित आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- (16) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ड यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा रही है कि अपीलार्थियों के पक्ष में विनिश्चय होने पर अपीलार्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई रकमों पर यदि पूर्व में जमा की गई रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो, ब्याज का संदाय अपीलार्थी प्राधिकारी को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा।
- (17) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 141 को उस रीति को विनियमित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है जिसमें आयातित या निर्यातित माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त, भंडारित, परिदत्त, प्रेषित या अन्यथा संभाला जा सकेगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।
- (18) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 158 को, किसी नियम के उल्लंघन के लिए शास्ति की अधिकतम रकम को पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए और विनियमों के उल्लंघन के लिए दो सौ रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

ज. नियमों में संशोधन :

- (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के नियम 18 को भूतलक्षी प्रभाव से, कारखाने से निर्यात के लिए निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट अनुज्ञात करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- (2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि निर्यात के लिए कारखाने से निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क्य मालों पर संदत्त शुल्क की रिबेट को भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञात किया जा सके।
- (3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि निर्यात के लिए कारखाने से निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क्य मालों पर संदत्त शुल्क की रिबेट को भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञात किया जा सके।
- (4) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 का निम्नलिखित परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जा रहा है :
 - (क) नियम 3 के उपनियम (4) का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि मोबाइल फोनों पर संदेय राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) की दशा में, उक्त एनसीसीडी के संदाय के लिए एनसीसीडी से भिन्न किसी अन्य उत्पाद-शुल्क का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा। यह परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।
 - (ख) नियम 6 का शुल्क्य और साथ ही छूटप्राप्त मालों के विनिर्माण के लिए समान इनपुटों या इनपुट सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे विनिर्माता के लिए, जो पृथक लेखा रखने का विकल्प नहीं ले रहा है, निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। ऐसे विनिर्माता :
 - (i) छूटप्राप्त मालों के विनिर्माण में उपयोग किए गए इनपुटों और इनपुट सेवाओं मद्दे प्रत्यय को (जिसे नियम में विहित रीति में संगणित किया जाना है) या तो उलट सकते हैं; या
 - (ii) छूट प्राप्त मालों के मूल्य (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4/4क के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाने वाले) के 10% की राशि का संदाय कर सकते हैं।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

- (ग) एक नए नियम 15क को अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे कि सेनवेट नियम, 2004 के ऐसे किन्हीं उपबंधों के, जिनके लिए कोई शास्तिक उपबंध विद्यमान नहीं है, उल्लंघन की दशा में 5000/- रुपए तक की साधारण शास्ति का उपबंध किया जा सके।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

- (5) जहां खुदरा विक्रय मूल्य को पैकेजों पर घोषित नहीं किया गया है या जहां उनमें फेर-फार या परिवर्तन किया गया है या उन्हें मिटा दिया गया है वहां उसके अवधारण की रीति का उपबंध करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क(4) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य मालों के खुदरा विक्रय मूल्य का अवधारण) नियम, 2008 जारी किया जा रहा है।

यह परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

सेवाकर

(I) निम्नलिखित सेवाएं अलग-अलग कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट की जाती हैं :

- (1) कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (2) यूनिट सहबद्ध बीमा कारबार, जो सामान्यतः यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) नाम से ज्ञात है, स्कीम के अधीन विनिधान प्रबंधन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (3) प्रतिभूतियों के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (4) किसी माल के विक्रय या क्रय या अग्रिम संविदाओं के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त संगम या किसी रजिस्ट्रीकृत संगम (वस्तु विनिमय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (5) प्रतिभूतियों, मालों या अग्रिम संविदाओं में संव्यवहारों के प्रक्रमण, निकासी तथा परिनिर्धारण के संबंध में प्रक्रमण और निकासी गृह द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (6) कब्जे का अधिकार अन्तरित किए बिना मूर्त मालों की आपूर्ति तथा मूर्त मालों के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (7) इन्टरनेट दूर-संचार के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं। इसके परिणामस्वरूप, इन्टरनेट टेलीफोनी, जिसे इन्टरनेट दूर-संचार के भाग रूप में सम्मिलित किया जा रहा है, के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं के प्रतिनिर्देश का लोप किया जाएगा।

उपरोक्त परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियम के पश्चात अधिसूचित की जाए।

(II) विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं की परिधि निम्नलिखित रूप में संशोधित की जा रही है :

- (1) ताकि इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सके,-
 - (i) विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अन्तर्गत बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवा के अधीन किसी प्राधिकृत व्यौहारी या प्राधिकृत धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा धन की अदला-बदली भी है;
 - (ii) व्यष्टि द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा दलाल सेवाओं के अधीन विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय जिसके अन्तर्गत किसी प्राधिकृत व्यौहारी या प्राधिकृत धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा धन की अदला-बदली है;
 - (iii) स्थोरा उठाई-धराई सेवा के अधीन लदाई, उतराई, पैकिंग हटाने जैसी एक या अधिक सेवाओं सहित या रहित स्थोरा या माल के परिवहन सहित पैक करना;
 - (iv) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का परीक्षण या विश्लेषण;
 - (v) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन सेवा के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी का निरीक्षण, जांच तथा प्रमाणन;
 - (vi) टुअर प्रचालक सेवा के अधीन किसी संविदा वाहक यान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी यात्रा के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं। तथापि, किसी विषय या क्षेत्र के संबंध में कौशल या ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने वाले किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र से भिन्न किसी शैक्षणिक निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाएं अपवर्जित की जाएंगी।
किसी टूरिस्ट यान में एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी यात्रा के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर टुअर प्रचालक सेवा के अधीन सेवा कर पहले से ही उद्ग्रहणीय है।
- (2) ताकि निम्नलिखित का लोप किया जा सके,-
 - (i) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा को एक पृथक कराधेय सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप कारबार सहायक सेवा से सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के प्रतिनिर्देश को;
 - (ii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा को एक पृथक कराधेय सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप परामर्शी इंजीनियरी सेवा से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी परामर्श का अपवर्जन;
 - (iii) 39 विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं से सेवा प्राप्तकर्ता के "कक्षीकार" या "ग्राहक" के रूप में प्रतिनिर्देश का लोप करने और उसके स्थान पर "कोई व्यक्ति" शब्द रखने के लिए;
उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक 2008 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।
- (3) यह स्पष्ट करने के लिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, दोनों विधाओं में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा, परामर्शी इंजीनियर सेवा के अधीन भी वर्गीकरणीय होगी;
- (4) शंका को दूर करके यह स्पष्ट करने के लिए कि,-
 - (i) कारबार सहायक सेवा के अधीन "कक्षीकार द्वारा सेवा के संवर्धन या विपणन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवा" के अंतर्गत कक्षीकार द्वारा आयोजित, संचालित या संवर्धित सट्टेबाजी के खेलों के संवर्धन या विपणन के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा भी है;
 - (ii) स्थावर संपत्ति को किराये पर देने संबंधी सेवा में, स्थावर संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण पर ध्यान न देते हुए स्थावर संपत्ति में स्थान के उपयोग की अनुज्ञा या अनुमति देना सम्मिलित है;
 - (iii) प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत सेवाओं में निर्दिष्ट "संपत्ति" में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सम्मिलित है।

(III) सेवाकर से छूट :

- (1) लघु सेवा प्रदाताओं के लिए सेवाकर छूट की वार्षिक अवसीमा को 8 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा रहा है।
- (2) सेवाकर से निम्नलिखित को छूट प्रदान की जा रही है,-

- (i) भारत में अवस्थित होटल में वास-सुविधा की बुकिंग के संबंध में, भारत में अवस्थित उक्त होटल द्वारा प्राप्त और भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर अवस्थित ग्राहक के लिए प्रदत्त कराधेय सेवा;
- (ii) बिना शर्त माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल वाहक में सड़क से माल के परिवहन के संबंध में प्रदत्त सेवाओं के लिए मालभाड़े के रूप में भारत कुल रकम का 75% इसके परिणामस्वरूप, अधिसूचना सं. 1/2006-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2006 के अधीन प्रदत्त 75% कटौती वापस ली जाती है।
(क) 2(i) और 2(ii) में विनिर्दिष्ट छूट 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगी, और
(ख) (1) में विनिर्दिष्ट छूट 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी।

(IV) अधिनियम और नियमों में संशोधन :

- (1) वित्त अधिनियम, 1994 का निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा है :-
- (i) सात अलग-अलग विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं और कतिपय अन्य विद्यमान कराधेय सेवाओं की सीमा विनिर्दिष्ट करने
[धारा 65]
- (ii) 7 सेवाओं को शामिल करना जिन्हें इस वर्ष के वित्त विधेयक की "सेवाकर प्रभार" से संबंधित धारा 66 में अलग-अलग रूप से कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (iii) किसी व्यक्ति जो, "प्रभारित सकल रकम" के अधीन सेवा कर का संदाय करने का दायी है की लेखा बहियों में यथास्थिति प्रत्यय की गई या विकलित किसी रकम को शामिल करना जहां कराधेय सेवाओं का संव्यवहार किसी सहबद्ध उपक्रम के साथ है।
[धारा 67]
- (iv) धारा 71 अन्तःस्थापित करना जिससे बोर्ड को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम विरचित करने के लिए सशक्त किया जा सके जिससे किसी व्यक्ति के माध्यम से या उक्त प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सेवाकर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में ज्ञात व्यक्तियों के वर्ग के माध्यम से सेवा-कर विवरणियां तैयार करने और भरने में समर्थ बनाया जा सके;
- (v) धारा 72 अन्तःस्थापित करना ताकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, निर्धारित को जहां निर्धारित सेवा-कर विवरणियां तैयार करने में असफल रहा है या कर निर्धारण करने में असफल रहा है अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत करना;
- (vi) धारा 77 को प्रतिस्थापित करने ताकि विनिर्दिष्ट उल्लघनों के लिए विनिर्दिष्ट शास्ति का उपबंध किया जा सके;
- (vii) उपबंध करती है कि जहां धारा 78 के अधीन कराधेय सेवाओं के लिए मूल्य को अवरुद्ध करने के लिए शास्ति संदेय है, धारा 76 के अधीन सेवाकर संदाय में असफलता के लिए शास्ति लागू नहीं होगी। [धारा 78]
- (viii) उपबंध करने कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति में राय की भिन्नता की दशा में वह मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट करेगी। [धारा 86(2)]
- (ix) उपबंध करने कि आयुक्त (अपील) के आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में आयुक्त की समिति की राय की भिन्नता की दशा में, यह मामले को अधिकारिक मुख्य आयुक्त को निर्दिष्ट करेगी। [धारा 86(2क)]
- (x) उपबंध करने कि सेवाकर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से सेवाकर विवरणी फाइल करने के लिए स्कीम विरचित करने हेतु नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। [धारा 94]
- (xi) वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक वित्त विधेयक, 2008 द्वारा निगमित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण के संबंध में कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आदेश जारी करने के लिए सशक्त करने। [धारा 95]
(क) उपर्युक्त 1(i) और 1(ii) में वर्णित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे; और
(ख) 1(iii), 1(iv), 1(v), 1(vi), 1(vii), 1(viii), 1(ix), 1(x) और 1(xi) में वर्णित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- (2) सेवाकर नियम, 1994 निम्नलिखित के लिए संशोधित किए जा रहे हैं :
- (i) केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में अग्रिम रूप से सेवाकर के रूप में रकम के संदाय तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए सेवाकर के संदाय के मद्दे संदत्त ऐसी रकम के समायोजन हेतु समर्थ बनाने के लिए नियम 6 में उप-नियम (1क) अंतःस्थापित करना;
- (ii) संदत्त आधिक्य सेवाकर के स्वतःसमायोजन के लिए धनीय सीमा को 50,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये करना;
[नियम 6(4ख)(iii)];
- (iii) त्रुटियों को सुधारने और पुनरीक्षित विवरणियां फाइल करने के लिए समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने;
[नियम 7(ख)];
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, उस दशा में जहां संदेय सेवाकर की कुल राशि शून्य है, विवरणी विलंब से फाइल करने की शास्ति को कम करने या माफ करने के लिए सशक्त करने; [नियम 7(ग)];
उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होंगे।
- (3) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 का निम्नलिखित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है,-
- (क) माल परिवहन अभिकरण सेवा को "आउटपुट सेवा" की परिधि से अपवर्जित करने; [नियम 2(थ)];
यह परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।
- (ख) यदि पूंजी माल आउटपुट सेवा उपलब्ध कराने के लिए है तो उन्हें बिना किसी समय निर्बंधन के आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसरों के बाहर से हटाए जाने की अनुज्ञा देने; [नियम 3];
यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(ग) कराधेय और साथ ही छूट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समान इनपुटों या इनपुट सेवाओं का उपयोग करने वाले आउटपुट सेवाओं के ऐसे प्रदाता को, जो पृथक लेखा न रखने का विकल्प ले रहा है, निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराना। आउटपुट सेवाओं के ऐसे प्रदाता,-

- (i) छूटप्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इनपुटों और इनपुट सेवाओं के मद्दे प्रत्यय को (जिसे नियम में विहित रीति में संगणित किया जाना है) या तो उलट सकते हैं; या
- (ii) छूटप्राप्त सेवाओं के मूल्य (वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के निबंधनानुसार अवधारित) के 8% की रकम का संदाय कर सकते हैं। [नियम 6];

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(घ) एक नए नियम 7क को अंतःस्थापित करने, जिससे कि आउटपुट सेवाओं के प्रदाता को, उसके अन्य कार्यालय द्वारा जारी बीजक/चालान/बिल के आधार पर इनपुटों और पूंजी मालों पर प्रत्यय लेने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक प्रक्रिया विहित की जा सके।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(4) सेवाओं का निर्यात नियम, 2005 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जिसके अंतर्गत कोई कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य साधन भी है, के माध्यम से सेवा के उपबंध के समय भारत से बाहर अवस्थित मालों या सामग्री या स्थावर संपत्ति के संबंध में दूर से उपलब्ध कराई गई निम्नलिखित सेवाओं को सेवाओं के निर्यात के रूप में माना जा सके, अर्थात्,-

- (क) प्रबंधन, अनुसंधान या मरम्मत;
- (ख) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण; और
- (ग) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन [नियम 3(1)(ii)] ।

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 को प्रभावी होगा।

(5) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त की गई) नियम, 2006 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जिसके अंतर्गत कोई कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य साधन भी है, के माध्यम से सेवा के उपबंध के समय भारत में अवस्थित मालों या सामग्री या स्थावर संपत्ति के संबंध में दूर से उपलब्ध कराई गई निम्नलिखित सेवाओं को सेवाओं के आयात और विलोम प्रभार पद्धति के अधीन सेवाकर से उद्ग्रहणीय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्,-

- (क) प्रबंधन, अनुसंधान या मरम्मत;
- (ख) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण; तथा
- (ग) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन [नियम 3(ii)]

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

(6) संकर्म संविदा (सेवाकर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) नियम, 2007 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि संकर्म संविदा के अधीन सेवाकर के संदाय के वैकल्पिक स्कीम के लिए विहित की गई दर को संविदा के कुल मूल्य के 2% से बढ़ाकर संविदा के कुल मूल्य का 4% किया जा सके [नियम 3(i)]।

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

(v) 1.3.2008 तक लंबित सेवाकर बकाया, जिसमें पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की रकम अन्तर्वलित है, के संबंध में विवाद के समाधान के लिए एक स्कीम आरंभ की जा रही है (सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008), यह स्कीम 1 जुलाई, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक के दौरान विधिमाम्य है (वित्त विधेयक, 2008, का अध्याय 6 देखें)।